यूनिट 35 : कानूनी सेवाएं प्राधिकारी अधिनियम 1987

लोक अदालतें

संरचना/रूपरेखा :

35.0 उद्देश्य

35.1 प्रस्तावना

35.2 लोकअदालतों का संगठन

35.3 लोकअदालतों का अधिकार-क्षेत्र

35.4 लोकअदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान/आकलन

35.5 लोकअदालतों द्वारा मामलों का निपटान

35.6 लोकअदालतों के अधिनिर्णयों का (अवार्ड) स्वरूप

- सारांश
- अपनी प्रगति जांचिये
- अपनी प्रगति जांचिये - उत्तर

35.0 उद्देश्य :

इस यूनिट (इकाई) का उद्देश्य यह है कि कानूनी सेवाएं प्राधिकारी अधिनियम 1987 के अंतर्गत गठित लोकअदालतों की प्रणाली से, पक्षों के बीच के विवादों का समझौता अथवा निपटानों के विषय में पाठकों को अवगत कराना।

35.1 प्रस्तावना :

लोकअदालतों का कार्यकरण, उनका अधिकार क्षेत्र, मामलों के संज्ञान/आकलन लोकअदालतों द्वारा किये जाने का तरीका, मामलों के निपटान या लोक अदालतों को संदर्भित मामले और लोक अदालतों द्वारा पारित अधिनिर्णयों के तरीके, इन सभी विषयोंपर, इस इकाई में चर्चा की गई है।

35.2 लोक अदालतों का संगठन :

लोक अदालतों का गठन, राज्य प्राधिकारी, जिला प्राधिकारी, उच्चतम न्यायालय की कानूनी सेवाएं समिति, या उच्च न्यायालय की कानूनी सेवाएं समिति या तालुका कानूनी सेवाएं समिति द्वारा, जैसा भी वह उचित समझें, अपने अधिकार क्षेत्र के स्थानों पर, आवश्यक अंतरालों पर किया जाता है।

35.3 लोक अदालतों का अधिकार क्षेत्र :

पार्टियों के बीच के विवाद का समझौता या निपटान करना या निर्धारण करने हेतु लोक अदालतों का अधिकार-क्षेत्र होता है। विवाद यह किसी न्यायालय के समक्ष लांबित मामला, जिसके लिये लोक अदालत का गठन किया गया हो, या मामला उसके अधिकार क्षेत्र के दायरे में हो, परंतु किसी न्यायालय में लंबित न हो, ऐसे अपराध जो किसी कानून के

अंतर्गत यौगिक (वृद्धिशील) न हों, ये मामले लोक अदालतों के दायरे में नहीं लाये जा सकते हैं।

35.4 लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान/आकलन :

लोक अदालतें निम्नलिखित प्रकार के मामलों/विषयों इत्यादि में कार्रवाई करती रहेगी।

(क) ऐसे विवादों जिसमें (संबद्ध) पार्टियों के /पक्षों के संदर्भ हेतु सहमति हो।

(ख) ऐसे विवादों जहां पक्षों (पार्टियों) में से एक न्यायालय के पास आवेदन करें कि इसे लोक अदालत को संदर्भित किया जाये और न्यायालय को इस बात की संतुष्टि हो कि निपटान की संभावना बनती हो। इस मामले में, लोक अदालत को इसे संदर्भित करने के निर्णय तक पहुंचने से पहले, दूसरे पक्ष को अवसर, न्यायालय जरुर देगा।

(ग) लोक अदालत द्वारा, विवाद का संज्ञान किया जाना, यह न्यायालय के विचार में सुयोग्य हो।

(घ) जहां, संभाव्य विवादों के विषय में, किसी एक पक्ष/पार्टी से आवेदन प्राप्त किये जाने पर प्राधिकारी या समिति, लोक अदालत का गठन करने जा रही हो, यह राय/अभिमत तक पहुंच जाए, कि इस विषय पर लोक-अदालत द्वारा निर्णय लिया जाए, अतः इस मामले को निर्णयार्थ लोक अदालत को सौंपा जाये।

35.5 लोक अदालतों द्वारा मामलों का निपटान :

लोक अदालतें पार्टीयों/पक्षों के बीच समझौता या निपटान कर देंगे। पक्षों के बीच समझौता, या निपटान के लिये, अतिशीघ्रता से कार्रवाई करें, और न्याय, सम्यकता (ईक्विटी) उचित व्यवहार के तत्वों/सिद्धांतों तथा अन्य कानूनी सिद्धांतों/तत्वों से मार्गदर्शन प्राप्त करें। जहां पक्षों के बीच

समझौता या निपटान की गुंजाईश न हो, तब जिस न्यायालय से मामला संदर्भित किया गया हो उस मामले का रिकार्ड लौटाया जाये। लोक अदालत को संदर्भ किये जाने के पूर्व, जिस स्थिति में मामला हो, उसी स्थिति से मामले पर न्यायालय आगे की कार्रवाई आरंभ करेगा। जो विवाद न्यायालय के समक्ष दायर न किये हों पक्षों/पार्टियों के बीच समझौता या निपटान के अभाव में, न्यायालय में, सुलझाने हेतु मामला/विवाद उठाना होगा।

35.6 अधिनिर्णय (अवार्ड) का स्वरूप :

लोक अदालत द्वारा दिया गया अधिनिर्णय (अवार्ड) को किसी दिवाणी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री, या अन्य किसी न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश, (कोर्ट ऑर्डर) जैसा ही माना जायेगा। यदि लोक अदालत द्वारा समझौता या निपटान किये जाने की स्थिति में, कोर्ट फीस, अधिनियम 1870 के अंतर्गत के प्रावधानों के अनुसार, अदालत को अदा की गई फीस की वापसी/चुकौती की जायेगी। प्रत्येक अधिनिर्णय (अवार्ड) विवादित सभी पार्टियों/पक्षों पर बाध्यकारी होगा। इस अधिनिर्णय (अवार्ड) के विरुद्ध अपील किसी न्यायालय में नहीं किया जा सकेगा।

सारांश :

लोक अदालतों का गठन, कानूनी सेवाएं प्राधिकारी अधिनियम 1987 के अंतर्गत किया जाता है। किसी संभाव्य विवाद या अन्य विवाद के विषय में, समझौता या निपटान करने हेतु इनकी उपयोगिता है। लोक अदालतों का अधिकार-क्षेत्र इस प्रकार तय होता है : पक्षों/पार्टियों की सहमति के जरिये, या विवाद के पक्षकारों में, से किसी एक द्वारा न्यायालय को आवेदन किये जाने पर, या पक्षकारों के बीच का विवाद, लोक अदालत द्वारा निपटाये जाने की न्यायालय द्वारा संतुष्टि किये जाने पर। संभाव्य विवाद के विषय में, कोई पार्टी/पक्ष प्राधिकारी या समिति को विवाद का निर्णय करने हेतु लोक अदालत के गठन के लिये अनुरोध कर सकता है। लोक-अदालतों का मार्गदर्शन न्याय, सम्यकता (ईक्विटी), उचित व्यवहार और अन्य कानूनी सिद्धांतों के जरिये होता है। निपटान की

स्थिति में, विवाद के पक्षकारों/पार्टियों पर अधिनिर्णय (अवार्ड) बाध्यकारी होगा। अधिनिर्णय (अवार्ड) के विरुद्ध अपील किसी न्यायालय में नहीं किया जा सकता है। अगर निपटान न हो, तब जिस अदालत ने लोक अदालत को मामला संदर्भित किया हो उसी को वापस सौंपा जाना चाहिये। संभाव्य न्यायिक मामले के विषय में, लोक अदालत को संबद्ध पक्षकारों/पार्टियों को न्यायालय में इसका उपाय/समाधान करने की सलाह देनी चाहिये।

अपनी प्रगति जांचिये :

1. लोक अदालतों का गठन लोक अदालत अधिनियम के मुताबिक किया जाता है। (सही/गलत)

2. लोक अदालतों का गठन पार्टियों/पक्षकारों के बीच के विवादों का निपटान हेतु किया जाता है। (सही/गलत)

3. यदि एक पार्टी/पक्ष विवाद का संदर्भ लोक अदालत को करना चाहे, दूसरे की सहमति की आवश्यकता नहीं रहती है। (सही/गलत)

4. लोक अदालत का प्रयास रहता है कि पक्षकारों/पार्टियों के बीच समझौता या निपटान हो जाये। (सही/गलत)

5. लोक अदालत के अधिनिर्णय (अवार्ड) के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकता है। (सही/गलत)

अपनी प्रगति जांचिये - उत्तर

1. गलत **2.** गलत **3.** गलत **4.** सही **5.** सही

यूनिट 39 : परिसीमन का कानून/नियम

संरचना/रूपरेखा :

39.0 उद्देश्य

39.1 प्रस्तावना

39.2 परिभाषा

39.3 परिसीमन और उसका परिकलन (गणना)

39.4 नयी परिसीमन अवधि उपलब्ध कराने वाले अधिनियम

39.5 परिसीमन अधिनियम की अनुसूची के कतिपय महत्वपूर्ण प्रावधान

- सारांश
- अपनी प्रगति जांचिये
- अपनी प्रगति जांचिये - उत्तर

39.0 उद्देश्य :

इस यूनिट/इकाई का उद्देश्य है कि परिसीमन अधिनियम 1963 के विभिन्न पहलूओं/अंगों, जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से सुसंगति/संबंध रखते हों, से अवगत कराना।

39.1 प्रस्तावना :

परिसीमन अधिनियम 1963 की बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिये महत्वपूर्ण उपयोगिता है। ये संस्थाएं उधारकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं और उधारकर्ताओं द्वारा चूक/डिफाल्ट किये जाने पर दिये गये कर्ज की वसुली हेतु उचित कार्रवाई इन्हें करनी पड़ती है। बैंक और वित्तीय संस्था अधिनियम 1993, के अंतर्गत, उनको देय कर्जों की वसूली और वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) 2002 विशिष्ट रूप से, बताते हैं, कि इन अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई केवल तभी अनुमत है, जब दावा परिसीमन अवधि के भीतर दायर किया गया हो, परिसीमन अधिनियम 1963, यह अधिनियम वाद और अन्य कार्यवाही के परिसीमन, नियमों में संशोधन, व समग्रता, लाने हेतु है।

39.2 परिभाषा :

'परिसीमन अवधि' का अर्थ है किसी वाद अपील अथवा अनुसूची द्वारा लागू करने हेतु निर्धारित परिसीमन अवधि और 'निर्धारित अवधि' का अर्थ है, इस अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक परिकलित परिसीमन अवधि होता है। 'वाद' में अपील या आवेदन का समावेश नहीं होता है।

39.3 परिसीमन और उसका परिकलन :

यह परम आवश्यक है कि प्रत्येक वाद अथवा आवेदन या अपील परिसीमन अवधि के भीतर किया जाना चाहिये। परिसीमन अधिनियम की धारा 3 यह घोषित करती है, कि दायर किया गया प्रत्येक, वाद प्रस्तुत किया गया अपील और दिया गया आवेदन, निर्धारित अवधि के बाद बरखास्त किया जायेगा, यद्यपि, बचाव के लिये परिसीमन अवधि स्थापित न किया गया/लगाया न गया हो। वाद तभी दायर किया जाता है, जब प्लेंट (वादपत्र) न्यायालय के उचित कार्यालय में प्रस्तुत किया गया हो। सैट ऑफ/मुजरे या प्रतिदावे की स्थिति में, उन्हें अलग-अलग वाद के रूप में माना जायेगा, और उन्हें दायर किया गया वाद माना जाना चाहिये:

(क) सैट ऑफ/मुजरे के विषय में, जिस तारीख को दावे में सैट ऑफ/मुजरे हेतु समर्थन/अभिवचन किया गया हो, उसी दिन।

(ख) प्रतिदावे के विषय में, जिस तारीख को न्यायालय में प्रतिदावा किया गया हो, उसी दिन।

परिसीमन अवधि का परिकलन :

(क) जिस दिन न्यायालय बंद हो, उस दिन, यदि परिसीमन अवधि समाप्त होता हो, तब वाद अपील या आवेदन, उस तारीख को दायर या दाखिल या दर्ज किया जाना चाहिये, जिस तारीख को न्यायालय खुल जाता हो।

(ख) कोई भी अपील या कोई भी आवेदन, एक्ज़िकुशन पिटीशन को छोड़कर, निर्धारित अवधि के बाद दर्ज किया जा सकता है, यदि अपीलकर्ता, या आवेदक, परिसीमन अवधि के भीतर, अपील या आवेदन दर्ज न करने हेतु पर्याप्त कारण बता सकता हो।

(ग) परिसीमन अवधि का परिकलन करते समय, जिस दिन से इस अवधि की गणना करनी है, उसे छोड़ना है। अपील दायर करने की अवधि का

परिकलन, जिस दिन न्यायिक शिकायत का निर्णय दिया गया हो तथा डिक्री सजा या अपील के आदेश की कापी प्राप्त करने के दिन को छोड़कर करना है। परिशोधित या समीक्षित आवेदन दायर करने की, या अधिनिर्णय को दूर रखने की समय सीमा तय करने के लिये आदेश या अधिनिर्णय की कापी प्राप्त करने की अवधि को छोड़ना चाहिये।

(घ) डिक्री के निष्पादन हेतु आवेदन के लिये, जिस अवधि के दौरान व्यादेश (इंजंक्श्न) या आदेश को लांबित रखने हेतु निष्पादन अवधि के दौरान, जिस दिन को आदेश जारी किया या बनाया गया हो, अथवा जिस दिन उसे निकाला गया हो, उस दिन को छोड़ना है।

(च) किसी वाद को दायर करने हेतु, जिसकी सूचना/नोटीस दी गई हो, या जिसके लिये सरकार का अनुमोदन या स्वीकृति प्राप्त की गई हो, या अन्य किसी प्राधिकारी की आवश्यकता हो, संप्रति, जिस कोई कानून की आवश्यकता के मुताबिक, इस नोटीस की अवधि, अथवा इस प्रकार के अनुमोदन या स्वीकृति प्राप्त करने के लिये लगनेवाले समय को छोड़ना होगा।

(छ) किसी वाद हेतु परिसीमन अवधि का परिकलन करते समय, जिस अवधि के दौरान, प्रतिवादी भारत में, या केंद्रीय सरकार के प्रशासनाधीन भारत के बाहर के प्रदेश, से अनुपस्थित, हो, उसे छोड़ना होगा।

39.4 नये परिसीमन अवधि के लिये अधिनियम :

नये परिसीमन अवधि के लिये दो कारण हो सकते हैं, इन मामलों में, इन घटनाओं के घटित होने के लिये आरंभ बिंदु को ही मानकर, परिसीमन अवधि का परिकलन करना होगा।

(1) किसी परिसंपत्ति या अधिकार, के विषय में, किसी वाद या आवेदन हेतु, उसके लिये निर्धारित अवधि के समाप्ति के पूर्व, यदि ऐसी परिसंपत्ति या

अधिकार विषयक देयता की लिखित पावती, ऐसे पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित हो, जिसके विरुद्ध ऐसी परिसंपत्ति या अधिकार का दावा किया गया हो, या ऐसी व्यक्ति जिससे, उसने अपना अधिकार या देयता, प्राप्त की गई हो, जिस समय ऐसी पावती हस्ताक्षरित की गई हो, उस समय से नयी परिसीमन अवधि का परिकलन करना होगा।

(2) जहां, ऋण या उससे संबद्ध ब्याज विषयक भुगतान, ऋणी या उससे संबद्ध ब्याज की देयता रखनेवाले व्यक्ति द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा निर्धारित अवधि के समाप्ति पूर्व किया गया हो, तब, जिस समय भुगतान किया गया हो, उसी समय से नये परिसीमन अवधि का परिकलन करना होगा। इस मामले में, ऋण के अंतर्गत, डिक्री या न्यायालय के आदेशानुसार, देय राशि शामिल नहीं की जानी चाहिये।

39.5 परिसीमन अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित कतिपय महत्वपूर्ण प्रावधान :

विभिन्न प्रकार के वाद दायर करने हेतु, नोट करने के लिये आवश्यक कुछेक मदें निम्नानुसार हैं :

वादों का वर्णन	**परिसीमन अवधि**	**अवधि का आरंभ होने का समय**
उधार दी गई रकम के एवज में देय रकम	तीन साल	जब उधार/ऋण मुहैया किया गया हो
ऐसे करार के अंतर्गत दिया गया उधार, जिसमें देय रकम मांग पर देय हो	तीन साल	जब ऋण दिया गया हो
दर्शनी (साइट) या दर्शनोत्तर (आफ्टर	तीन साल	जब बिल प्रस्तुत किया

साइट) देय विनिमय बिल या वचन पत्र पर जो नियत, मुद्दत पर, देय न हो		गया हो
दर्शनोत्तर या मांगोत्तर नियत मुद्दत के बाद देय विनिमय बिल या वचन पत्र पर	तीन साल	नियत मुद्दत की समाप्ति पर
वचन पत्र या बांड पर, जो किश्तों में देय हो	तीन साल	प्रथम भुगतान की मियाद का तब देय हिस्सा पूरा हो जाने पर, और अन्य हिस्सों के लिये, भुगतान की संबद्ध मियाद पूरी हो जाने पर
भाडे की बकाया रकम के लिये	तीन साल	जब कभी बकाया रकम देय हो
किसी संविदा के विशिष्ट कार्यनिष्पादन के लिये	तीन साल	कार्यनिष्पादन की नियत तारीख पर देय, अथवा यदि ऐसी कोई तारीख तय नहीं की गई हो, तब, जब वादी द्वारा निष्पादन नकारा जाना नोटीस किये जाने पर
अचल परिसंपत्ति पर बंधक अथवा अन्यथा प्रभारित रकम के भुगतान को प्रवर्तित करने के लिये	बारा साल	जब रकम वसूली हेतु वाद सूट देय हो
बंधक ग्राही द्वारा :- (क) पुरोबंध (फोरक्लोजर) के लिये	तीस साल	जब बंधक द्वारा प्रतिभूत रकम देय हो
(ख) अचल संपत्ति का कब्जा हांसिल करने	बारा साल	जब बंधक का कब्जा

हेतु		प्राप्त करने हेतु बंधक ग्राही हकदार हो
कोई भी वाद (मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत यदि उच्चतम न्यायालय में दाखिल हो, ऐसे वाद को छोड़कर) जो केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके लिये, या अन्य राज्य सरकारों (जम्मू व कश्मीर के राज्य सरकार सहित) द्वारा दायर किये गये हो	तीस साल	किसी निजी व्यक्ति द्वारा दायर तत्सम वाद के विरुद्ध, इस अधिनियम के अंतर्गत परिसीमन अवधि आरंभ होती हो
इस अनुसूची में अन्य स्थान पर, किसी वाद के लिये कोई परिसीमन अवधि न रखी गयी हो	तीन साल	जब वाद दायर करने का अधिकार उपचित प्रोद्भूत हो

सारांश :

न्यायालय में, वाद अपील, या आवेदन दायर करने में परिसीमन कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दायर किया गया, या अधिमानित या किया गया वाद, अपील अथवा आवेदन, निर्धारित अवधि के बाद, यद्यपि प्रतिवाद के रूप में परिसीमन का दाखिला न लिया गया हो, बरखास्त किया जाएगा। परिसीमन अवधि का परिकलन करते समय, अधिनियम के अनुसार कतिपय अवधि शामिल न किये जाने का प्रावधान है। लिखित रूप में प्राप्तिसूचना, और ऋण के निमित्त किया गया भुगतान, जब से प्राप्तिसूचना पर हस्ताक्षर किया गया हो या भुगतान किया गया हो, तब से नयी परिसीमन अवधि, जो भी मामला/स्थिति हो, आरंभ हो जाती है। अधिनियम की अनुसूची में, परिसीमन अवधि, और कब से उसका परिकलन करना है, उसका प्रावधान किया गया है।

अपनी प्रगति जांचिये :

1. परिसीमन अधिनियम में, वाद की परिभाषा में, अपील या आवेदन का समावेश नहीं होता है। (सही/गलत)

2. प्रतिवादी को यदि उसे परिसीमन अवधि की परिधी के बाहर/उपरांत, दायर किये गये वाद में सुयश प्राप्त करना हो, तब उसे अधिवाक (प्ली) करना होगा। (सही/गलत)

3. वाद तब दाखिल किया गया माना जाता है, जब वादपत्र (प्लेंट) उचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो। (सही/गलत)

4. लिखित रूप में दी गई पावती/प्राप्तिसूचना नई परिसीमन अवधि शुरु करती है। (सही/गलत)

5. परिसीमन अवधि के भीतर, ऋण का किया गया आंशिक भुगतान वादी को लिये, भुगतान की तारीख से नयी परिसीमन अवधि का परिकलन करना आवश्यक कर देता है। (सही/गलत)

6. जब, बंधक राशि देय हो जाती है, उस तारीख से, बंधक की परिसीमन अवधि, तीन साल होती है। (सही/गलत)

7. जिस तारीख से मांग की गई हो, उस तारीख से मांग वचन-पत्र पर का दावा, तीन सालों के भीतर दायर किया जा सकता है। (सही/गलत)

अपनी प्रगति जांचिये - उत्तर

1. सही **2.** गलत **3.** सही **4.** सही
5. सही **6.** गलत **7.** गलत

यूनिट 40 : कर नियम (टैक्स कानून)

संरचना/रूपरेखा :

40.0 उद्देश्य

40.1 प्रस्तावना

40.2 आय कर

40.3 अनुषंगी लाभ कर (फ्रिंज बेनिफिट) टैक्स

40.4 बैंकिंग नकदी संव्यवहार कर

40.5 सेवा कर

- सारांश
- अपनी प्रगति जांचिये
- अपनी प्रगति जांचिये - उत्तर
- बहुपर्यायी प्रश्न

40.0 उद्देश्य :

आय कर सेवा कर, अनुषंगी लाभ कर, बैंकिंग नकदी संव्यवहार कर से संबंधित मूलभूत विषयों की रूपरेखा दर्शानेवाले नियमों की जानकारी देना, उपर्युक्त कर नियमों का बैंकों और वित्तीय संस्थानों के संबंध में उपयुक्तता विषयक चर्चा करने तक ही इस इकाई (यूनिट) का उद्देश्य सीमित है।

40.1 प्रस्तावना :

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिये यह आवश्यक है, कि स्त्रोत पर कटौती, स्त्रोत पर कटौती किया गया कर आय-कर, प्राधिकारियों के खाते में जमा करना, और बैंकिंग नकदी संव्यवहार कर और सेवा कर इत्यादि विषयक प्रावधानों पर, अपने दैनिक परिचालनों में, अंमल कर देना है।

40.2 आय कर :

आय कर अधिनियम 1961 के अध्यधीन, आय से संबद्ध कराधान होता है। आय पर कराधान का प्रावधान, निर्धारिती के निम्न के आधार पर किया जाता है।

(क) निवास

(ख) आय के स्त्रोत का स्थान

आय का अर्थ है :

'आय' की परिभाषा का प्रकार, समावेशक है, लेकिन सर्वमावेशक नहीं है।

अतः आय का अर्थ क्या? इसकी सटीक परिभाषा इस प्रकार स्पष्ट होती है:

कर-निर्धारिती और निर्धारण वर्ष :

किसी व्यक्ति (जिसे निर्धारिती कहा जाता है) की उपचित (अक्रूइंग) या प्राप्त आय पर निर्धारण 'वर्ष' के आधार पर कर काटा जाता है। निर्धारण वर्ष अवधि का मतलब है, प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से आरंभ होनेवाली 12 माह की अवधि। पिछले वर्ष में प्राप्त आय पर निर्धारण 'वर्ष' में कर की कटौती की जाती है। पिछला वर्ष का अर्थ है, निर्धारिती के 'निर्धारण वर्ष' का तत्कालिक पूर्व वित्तीय वर्ष।

निवासीय प्रास्थिति (status) निर्धारिती के निवासीय स्थिति का निर्धारण, पिछले वर्ष के दौरान भारत में कितने दिन वह उपस्थित था, इसके आधार पर किया जाता है। कंपनियों के विषय में, इसका निर्धारण स्थान, नियंत्रण का स्थान, और कंपनी के प्रबंधन तथा पंजीकरण के स्थान के आधार पर किया जाता है। जब वह भारतीय कंपनी होती है, तब वह भारतीय कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत, अथवा किसी कानून के अधीन स्थापित कंपनी या ऐसी कंपनी जिसका नियंत्रण और प्रबंधन भारत में स्थित हो, ऐसी कंपनी को भारत में निवासी कंपनी माना जाता है।

एक तीसरा प्रकार भी है जिसे निवासी, न कि सामान्य निवासी, कहा जाता है जो ऐसे निर्धारिती होते हैं, जो व्यक्ति अथवा हिंदू अविभक्त परिवार होते हैं, निवासी निर्धारिती द्वारा विश्वभर की कही की भी आय भारतीय आय कर के अधीन कर पात्र है। इसके विपरीत अनिवासी के विषय में, व्यक्ति जो सामान्यतः भारतीय निवासी नहीं है उनके द्वारा निदेश में अर्जित आय कर पात्र नहीं है और केवल भारत में अर्जित या उपचित आय भारत में कर पात्र है।

आय के शीर्षक :

आय कर अधिनियम के अंतर्गत अन्य अनुप्रयोग (Application) इस प्रकार है :

(क) खाता खोलने हेतु, मांग ड्राफ्ट की खरीद, रु. 20,000/- के ऊपर की सावधि जमा राशि

(ख) फार्म नंबर 60 और 61 में घोषणा पत्र

(ग) रु. 20,000/- से अधिक जमा राशि का पुनः भुगतान, पे ऑर्डर के जरिये

(घ) रु. 1 लाख से अधिक मूल्य के संव्यवहार की रिपोर्टिंग

आय कर अधिनियम 1961 के अनुसार निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत आय का कराधान :

1. वेतन
2. आवासीय परिसंपत्ति से अर्जित आय
3. व्यापार अथवा व्यवसाय से अर्जित लाभ और प्राप्तियां
4. पूंजीगत प्राप्तियां
5. अन्य स्त्रोतों से आय

आय का परिकलन (गणना) :

करपात्र आय के परिकलन, निम्नांकित स्तरों में किया जाता है। इस प्रकार के आय से संबंधित धाराओं के अनुसार, विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत अर्जित आय का परिकलन अलग से किया जाना चाहिये। प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत अलग से आय का परिकलन करने के बाद उपर्युक्त के अनुसार विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत सभी रकमों के योग के रूप में

'सकल कुल आय' के नाम से निकाला जाता है। आय कर अधिनियम का अध्याय VI A में सकल कुल आय से पात्र विभिन्न कटौतियों का प्रावधान किया गया है। आयकर अधिनियम के अध्याय VI A में वर्णित सभी कटौतियों को घटाकर, निर्धारिती के करपात्र आय का, निर्धारण किया जाता है।

कर से छूट-प्राप्त आय :

आय के कतिपय प्रवर्ग कर से छूट-प्राप्त हैं, और इस प्रकार की आय की गणना आय परिकलन में नहीं की जाती है। आरंभ से ही गणना से इन्हें छोड़ा जाता है।

निर्धारण कार्यवाही :

प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी पिछले वर्ष की कुल आय, कर हेतु पात्र नहीं हो, को धारा 139 के अधीन निर्धारित देय तारीख तक आयकर विवरणी दर्ज करना आवश्यक है। कंपनी अथवा साझेदारी कंपनी को अपने आय की विवरणी दर्ज करना आवश्यक है। कंपनी निर्धारिती को निर्धारित फार्म क्र.1 में आय की विवरणी दर्ज करना आवश्यक है। कंपनी निर्धारिती को अपने आय का विवरण कम्प्यूटर मिडीया में ('इ' फायलिंग) दर्ज करना आवश्यक है। निर्धारण वर्ष की 31 अक्तूबर, संप्रति, इस विवरणी को दर्ज करने की देय तारीख है।

मूल विवरणी में यदि आय गणना में कोई गलती हो तब, आय की परिशोधित विवरणी गलती को सुधार कर दूसरी विवरणी के जरिये, निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पहले, अथवा निर्धारण पूरे किये जाने से पूर्व, जो भी पहले हो, दर्ज किया जाना चाहिये, घाटा घोषित करनेवाली विवरणी देय तारीख से पहले दायर की जानी चाहिये, और घाटा घोषित करनेवाली विवरणी दर्ज करने में यदि विलंब हो, तब परिणामतः ऐसे घाटे को आगे ले जाने और आगामी वर्षों में समायोजन के लाभ से वंचित रखना होगा।

निर्धारिती द्वारा दर्ज की गई विवरणियों का निर्धारण :

इस कार्य के लिये पदनामित अधिकारी (निर्धारण अधिकारी - A.O) द्वारा किया जाता है। निर्धारण संक्षिप्त निर्धारण के रूप में, जहां धारा 143 (1) के अंतर्गत बिना किसी अधिक जांच के आधार पर विवरणी स्वीकारी जाती है। निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 143 (2) के अंतर्गत नोटीस जारी करके, प्रस्तुत की गई विवरणी की संवीक्षा भी कर सकता है और धारा 143 (3) के अधीन निर्धारण पूरा कर सकता है जिसे सामान्यतः 'संवीक्षा निर्धारण' कहा जाता है।

निर्धारण अधिकारी कुल आय निर्धारित करता है और मांग नोटीस सहित निर्धारण आदेश जारी करता है, संवीक्षा के बाद, यदि कोई मांग की गई हो, तो उसका भुगतान, निर्धारण आदेश और निर्धारिती पर मांग नोटीस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर करना पड़ता है।

अधिनियम में, यथा निर्धारित, अवधि में यदि व्यक्ति अपनी विवरणी दायर करने में चूकता है, तब निर्धारण अधिकारी (AO) उसे धारा 142 के अधीन विवरणी दायर करने हेतु नोटीस जारी करके, उसके आय के निर्धारण की शुरुआत करना है। निर्धारण अधिकारी (AO) निर्धारित परिस्थिति के अधीन उसे फिर से लेकर आय का पुनः निर्धारण भी कर सकता है।

करों का भुगतान :

आय कर अधिनियम की धारा 210 के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम कर देय होता है। अग्रिम कर की संकल्पना 'आपके अर्जनानुसार भुगतान करे' है। कंपनी निर्धारिती के मामले में अग्रिम कर निम्नानुसार चार किश्तों में देय होता है :

क. 15 जून तक - 15%

ख. 15 सितंबर तक - 30%

ग. 15 दिसंबर तक - 60%

घ. 15 मार्च तक - देय अग्रिम कर का 100%

निर्धारिती द्वारा, अनुमानित आय पर आधारित, किया गया अग्रिम कर का भुगतान, आय विवरणी के अनुसार, देय कर से कभी-कभी कम रहता है। ऐसी कमी (घाटा) यदि कोई हो, तो उसे आय कर अधिनियम की धारा 140 A के अधीन 'स्वनिर्धारण कर' के जरिये अदा किया जाता है।

कर की स्त्रोत पर कटौती/वसूली :

सहकारी बैंक के सदस्यों को टीडीएस से छूट दी जाती है। अग्रिम करों और स्वनिर्धारण के अलावा, आय कर का भुगतान अन्य माध्यमों के जरिये जैसे स्त्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) और स्त्रोत पर कर की वसूली (टीसीएस)

बैंकों की सामान्य दैनंदिन कारोबारी गतिविधियों में टीडीएस से संबद्ध प्रावधान महत्वपूर्ण हैं, और सुसंगत है, जब विशिष्ट प्रकार के भुगतान किये जाते हैं बैंक के कारोबारी कार्यकलापों के दौरान सामान्यतः निम्नलिखित भुगतान किये जाते हैं और आय कर अधिनियम 1961 के अधीन, टीडीएस के तहत इन्हें समाविष्ट (कवर) किया जाता है।

1. वेतन - धारा 192
2. प्रतिभूतियों पर ब्याज - धारा 193
3. प्रतिभूतियों के ब्याज को छोड़कर ब्याज का भुगतान - धारा 194A
4. ठेकेदारों और उप-ठेकेदार - 194 C
5. दलाली (ब्रोकरेज) और कमीशन का भुगतान - धारा 194 H

6. भाडे के रूप में भुगतान - धारा 194 I
7. व्यावसायिक और तकनिकी फीस - धारा 194 J
8. अनिवासी को भुगतान - धारा 195

टीडीएस से संबंधित प्रावधानों के विषय में अनुपालन के लिये विशेष ध्यानाकर्षण आवश्यक है, क्योंकि ऐसी रकमों का भुगतान करनेवाले व्यक्ति पर दुर्वह उत्तरदायित्व आ जाता है। प्रथमतः स्त्रोत पर कटौती करनेवाले व्यक्ति को फार्म नंबर 49 B को भरवाकर कर कटौती खाता नंबर (टॅन) प्राप्त करना आवश्यक है। संबद्ध वर्षों के वित्तीय अधिनियम में दिये गये दरों के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती की जायेगी। जिस महीने में स्त्रोत पर कर की कटौती की गई हो उस से सामान्यतः एक सप्ताह के भीतर स्त्रोत पर कटौती किया गया कर सरकारी खाते में जमा करना आवश्यक होगा, यह नोट किया जाना चाहिये कि जब कभी ब्याज, व्यावसायिक फीस, भाड़ा इत्यादी के रूप में देय रकम आदाता के खाते में, दाता की बहियों, संबद्ध व्यक्ति को, वास्तवतः भुगतान किये जाने बिना, जमा कर दी गई हो, तब इसे भुगतान माना जाना चाहिये और स्त्रोत पर कर कटौती का दायित्व रहता है।

अनिवासी भारतीयों को बार-बार भुगतान करना आवश्यक होता है। यह नोट किया जाना चाहिये कि संबद्ध धारा 195 के अधीन ब्याज और वेतन के अलावा अन्य रकम का भुगतान समाविष्ट है। संबद्ध वर्ष के वित्तीय अधिनियम में भी तथा धारा 195 के अधीन, अनिवासीयों के भुगतान पर कटौती की ब्याज दर दी जाती है। आय पर दोबारा कर कटौती से बचने के लिये भारत सरकार (निवास के तथा स्त्रोत दोनों के आधार पर) अन्य देशों के साथ करार करती है। दो बार कर से बचने के लिये (DATT) संबद्ध देश के साथ किये गये करार में दी गई दर पर, जहां प्राप्तकर्ता निवासी है, गौर करना होगा। जब DATT के अनुसार लागू दरें, वित्तीय अधिनियम में दी गई दरों से कम हो। तब DATT की दरें TDS हेतु लागू होगी।

स्त्रोत पर कर की कटौती करने वाले व्यक्ति के लिये TDS की तिमाही विवरणी, वेतन के लिये, वेतन को छोड़कर अन्य मदें और अनिवासीयों को किये गये निर्धारित प्रपत्र में दर्ज करना आवश्यक है। कम्प्यूटर मिडिया में (इ रिटर्न) भी ये विवरणियां दर्ज करना आवश्यक हैं।

यह नोट किया जाना चाहिये, कि अधिनियम की धारा 40 (a) के अनुसार, स्त्रोत पर कटौती में चूक या TDS का सरकारी खाते में भुगतान, का परिणाम कटौती करनेवाले बैंक की आय के परिकलन में संबद्ध खर्चे की अननुमति के रूप में होता है। उदाहरणार्थ, बैंक द्वारा किसी ठेकेदार को किये जानेवाले रु. 1 लाख के भुगतान पर यदि स्त्रोत पर कर की कटौती न की गई हो, तब रु 1 लाख की पूरी रकम फिर से जोडी जाएगी, और उसे बैंक की आय के रूप में मानते हुए उस पर कर की भुगतान करने की देयता बैंक की होगी। इसके अलावा, TDS के संबंध में अनुचित अथवा अननुपालन, से ब्याज और दंड लगाया जायेगा तथा अभियोजन (प्रॉसिक्युशन) भी होगा।

TDS के विषय में प्रावधानों के अननुपालन से (दंड) इस तरह लगाया जायेगा:

1. स्त्रोत पर देय कर की रकम पर जिस दिन से कटौती लागू हो उस दिन से भुगतान की तारीख तक 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभारित होगा।

2. जो भी व्यक्ति कर कटौती के लिये उत्तरदायी होगा उससे स्त्रोत पर कर की कटौती की जा सकती है।

3. सरकारी खाते में स्त्रोत पर कटौती किए गए कर का भुगतान न किये जाने पर आयकर अधिनियम की धारा 276 B के अधीन अभियोजन (प्रॉसिक्युशन) की कार्यवाही हो सकती है।

4. विवरणी/विवरण दर्ज करने में कोई भी चूक होने पर चूक की अवधि के लिये रु.100/- दंड प्रतिदिन लगाया जा सकता है।

40.3 अनुषंगी लाभ कर (फ्रिंज बेनिफिट टैक्स) :

अनुषंगी लाभ कर (एफबीटी) वित्तीय अधिनियम 2005 के जरिये आरंभ किया गया, और यह 1.4.2005 से आरंभ होनेवाले पिछले साल से लागू हो गया (निर्धारण वर्ष 2006-07 से आगे) एफबीटी अनुषंगी लाभों पर लगाया जानेवाला कर है, जो मालिक द्वारा उसके कर्मचारियों के पिछले साल के दौरान दिये गये हों। मालिक द्वारा उसके कर्मचारियों के लिये किये गये विभिन्न खर्चों के लिये मालिक पर अनुमानिक (प्रिजमटिव) कर के रूप में प्रभारित किया जाता है।

इस प्रकार के अनुषंगी लाभों के 'मूल्य' (वैल्यू) के रूप में निर्धारिती को लागू दरों पर एफबीटी देय होता है, यह कर मालिक को आय कर के अतिरिक्त अदा करना पड़ता है। अनुषंगी लाभ इस शब्द की परिभाषा आयकर अधिनियम की धारा 115 Wb में समाविष्ट है। परिभाषा के दो भाग हैं। पहला भाग लाभ के तीन प्रवर्गों को परिभाषित करता है जिनको विशिष्टतः "अनुषंगी लाभ" का अर्थ बताने के लिये बनाया गया है। दूसरे भाग में समाविष्ट लाभ अथवा मालिक द्वारा किये गये खर्चे को 'समझा गया अनुषंगी लाभ' माना जाता है।

वैल्यू/मूल्य 'समझा गया अनुषंगी लाभ' जिसे धारा 115 Wb में परिभाषित किया गया है, उसे कुल खर्चे पर विशिष्ट दरों पर परिकलित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, एफबीटी के भुगतान के लिये, केवल खर्चे का हिस्सा न कि खर्च की गई पूरी रकम को अनुषंगी लाभ की वैल्यू/मूल्य के रूप में लेखांकित किया जाता है।

अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि प्रत्येक तिमाही में किये गये खर्चे के आधार पर एफबीटी का अग्रिम भुगतान किया जाये। तिमाही के बाद के माह की 15 तारीख या उसके पूर्व अग्रिम कर के रूप में एफबीटी देय

होगा। तथापि वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होनेवाली तिमाही के लिये उस वित्तीय वर्ष के 15 मार्च के पहले उसे अदा करना पड़ेगा।

आयकर अधिनियम के अधीन, नियत तारीख के पहले एफबीटी की विवरणी भी दर्ज करनी पड़ती है। व्यवहार में संप्रति, इसे कोई अलग विवरणी के रूप में नहीं किंतु आयकर विवरणी के अनुभाग के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है।

40.4 बैंकिंग नकदी व्यवहार कर :

बैंकिंग नकदी व्यवहारकर (BCTT) 1.6.2005 से लागू किया गया इसमें, अनुसूचित बैंकों की शाखओं के खातों से नकदी आहरण से संबंधित कतिपय विशिष्ट संव्यवहार समाविष्ट हैं, यह कर, प्रत्येक कर पात्र बैंकिंग संव्यवहार के मूल्य का 0.1% देय होता है।

वित्त अधिनियम 2005 की धारा 94 की उपधारा 8 में करपात्र बैंकिंग संव्यवहार परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है:

(क) ऐसा संव्यवहार, किसी एकल दिवस को, अपने खाते से (बचत बैंक खाते

के अलावा) जो किसी अनुसूचित बैंक के साथ हो, नकदी आहरण का संव्यवहार जो निम्न से अधिक हो :-

(1) किसी व्यक्ति या हिंदू अविभक्त परिवार अपने खाते से पचास हजार रुपये का नकदी आहरण

(2) किसी व्यक्ति या हिंदू अविभक्त परिवार के अलावा अन्य किसी खाते से रु. एक लाख का नकदी आहरण

(ख) ऐसा संव्यवहार, जिसमें किसी एकल दिवस को, किसी अनुसूचित बैंक से,

एक या अधिक मियादी रसीदें परिपक्वता पर या अन्यथा नकदी प्राप्ति के रूप में, निम्न से अधिक हों -

(1) किसी व्यक्ति या हिंदू अविभक्त परिवार के नाम से मियादी जमा या जमाओं से रु. पचास हजार का नकदीकरण

(2) किसी व्यक्ति या हिंदू अविभक्त परिवार के अलावा अन्य किसी व्यक्ति के खाते से मियादी जमा/जमाओं से रु. एक लाख का नकदीकरण

BCTT के रूप में वसूल किया गया कर, जिस महीने में कर की वसूली की गई हो, उसके अगले महीने की 15 वी तारीख तक केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा करना चाहिए। बैंक की शाखा को निम्न विवरण प्रस्तुत करने चाहिये। फार्म क्र. 1, मासिक विवरण फार्म क्र.2 भी अगले महीने में दर्ज करना चाहिये। 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिये कम्प्यूटर मिडिया (इ रिटर्न) में फार्म नं.3 विवरणी 31 जुलाई तक दर्ज करनी चाहिये।

BCTT के भुगतान में चूक किये जाने पर 1% की दर से प्रत्येक माह अथवा विलंबित अवधि के लिये, ब्याज देना होगा। संबद्ध विधानमंडल, (लेजिस्लेशन) में, **BCTT** से संबद्ध कानून के अंतर्गत निर्धारण की पद्धति सुधार, अपीलें और अननुपालन के दंड आदि प्रावधन समाविष्ट हैं।

40.5 सेवा कर :

सेवा कर वित्त अधिनियम 1994 के जरिये लागू किया गया आरंभ में इसके तहत केवल 3 सेवाएं यथा टेलीफोन, साधारण बीमा और स्टाक ब्रोकिंग शामिल की गई, सेवा कर के लिए कोई अलग अधिनियम नहीं है। वर्षानुवर्ष वित्त अधिनियम में संशोधन कर के, सेवा कर के अंतर्गत अन्य विविध सेवाएं समाविष्ट की गई। यदि रु. 8 लाख से अधिक कुल कारोबार न हो, तब कोई सेवा कर नहीं होगा यदि कुल कारोबार इस सीमा

से अधिक हो, तब समाविष्ट सेवाएं प्रदान करनेवाले व्यक्ति को सेवा कर अदा करना होगा।

दि. 16.7.2001 से, समाविष्ट सेवाओं में, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं पर सेवा कर लगाया गया है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत बैंक की विभिन्न कारोबारी गतिविधियां शामिल हैं। इसे बैंकों की उधार से संबंधित गतिविधियों,फीस कमिशन इत्यादि तक विस्तारित किया गया हैं। बैंक की ब्याज के रूप में आय पर यह देय नहीं है। विभिन्न सेवाएं जैसे व्यापारिक (मर्चेंट) बैंकिंग गतिविधियां, प्रतिभूतियां और विदेशी मुद्रा विनिमय ब्रोकरेज, परामर्श सेवाएं सुरक्षित जमा लॉकर सेवा इत्यादि शामिल हैं।

उपर्युक्त के अलावा, दूसरी ऐसी सेवाएं भी है जिन पर सेवा कर देय है जैसे, क्रेडिट और डेबिट कार्ड सेवाएं।

कारोबारी अनुषंगी सेवाएं इत्यादि, सेवा प्रवर्ग के अंतर्गत किसी स्थिति में दायित्व उभरने से, सेवा उपलब्ध करानेवाले को ऐसी प्रत्येक सेवा के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होगा।

सेवा कर प्राधिकारियों के पास फार्म क्र- एसटी-1 दर्ज करने पर सेवाकर रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न बैंकों में केंद्रीकृत लेखांकन प्रणाली के आरंभ से सभी शाखाओं के लिए केंद्रीकृत रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना भी संभव हो गया है। सेवा कर आयुक्त से, ऐसे स्थानों के लिये रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया जा सकता है, जहां लेखांकन की गतिविधियां केंद्रीकृत की गई हों।

संप्रति, फीस के रूप में प्राप्त आय पर सेवा कर @12% से उसके उपर 3% के शिक्षा उपकर सहित (कुल 12.36%) देय होगा। सेवा उपलब्ध करनेवाले व्यक्ति पर सेवा कर अदा करने का दायित्व होता है और फीस के रूप में प्राप्त वास्तविक आय पर यह देय होगा। यदि सेवा देनेवाले ने

सेवा कर अलग न वसूल किया हो, तब कानून में यह प्रावधान है कि दी गई सेवा के लिये मूल्य के रूप में प्राप्त रकम, प्रति अंकगणीतीय गणना से फीस के स्वरूप प्राप्त आय और सेवा कर ऐसे दो प्रवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, यदि प्राप्त रकम X हो, तब सेवा कर की गणना निम्नानुसार हो सकती है :-

X

-------- गुणा 12.36

112.36

इस तरह गणित परिकलित रकम सेवा कर के रूप में अदा की जा सकती है और शेष प्रदान की सेवा के रूप में मूल्यांकित की जा सकती है, जिस महीने में आय प्राप्त हो, उसके अगले महीने की 5 तारीख तक सेवाकर सरकारी खाते में जमा कर देना होगा (केवल मार्च महीने को छोड़कर जिसमें उसे उसी महीने में जमा करना होगा) 31 मार्च और 30 सितंबर को समाप्त अर्ध वर्ष के लिये, फार्म क्र. एसटी - 3 में अर्धवार्षिक विवरणी क्रमश: 25 अप्रैल और 25 अक्टूबर को दर्ज करना आवश्यक है।

सैनवाट क्रेडिट :

निर्धारिती द्वारा निविष्ट (इनपुट) सेवाओं के लिये सेवा कर अदा करना है, उत्पादन सेवाओं की देयताओं का 20% तक का समायोजित किया जा सकता है सेवा कर देयता का 20% तक का समायोजित सभी निविष्ट सेवाओं के लिये है। सैनवॅट क्रेडिट नियमों का 6 (1) iii नियम, कतिपय विशिष्ट निविष्ट सेवओं पर अदा किया सेवा कर, 100% तक की सेवा कर देयता तक समायोजित करने का भी प्रावधान रखता है। दूसरे शब्दों में, निविष्ट (इनपुट) सेवाओं पर अदा किया गया सेवा कर विशिष्ट प्रवर्ग की सेवाओं को शामिल करता है, जिसमें 20% की उपरोक्त बतायी सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है और निविष्ट (इनपुट) सेवाओं के लिये

अदा की गई पूरी रकम की जमा/क्रेडिट उत्पादक सेवाओं की देयता के प्रति की जा सकती है।

निर्यात और आयात सेवाएं :

जब सेवाएं भारत के बाहर दी जाती हों या निर्यात की जाती हो, तब सेवा कर लागू नहीं होगा। इसके विपरीत, जब सेवाएं आयात की जाती हैं तब सेवा कर देय होगा।

आयात सेवा नियम 2006 के अंतर्गत, आयातीत सेवाओं के लिये प्रभारित किये जाने वाले सेवा कर से संबद्ध नियम, शामिल किये गये हैं।

जब आयातीत सेवाओं के लिये सेवा कर देय होगा, तब ऐसी सेवाएं आयात करनेवाले व्यक्ति पर सेवा कर अदा करने का दायित्व होगा। आयातीत प्रत्येक प्रवर्ग की सेवा के लिये रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना ऐसे व्यक्ति के लिये आवश्यक होगा।

सरकारी खाते में सेवा कर अदा करने में होने वाले विलंब के लिये विशिष्ट दर पर (संप्रति 13%) ब्याज सहित सेवा कर अदा करना आवश्यक है। सेवाकर से संबद्ध कानून का अननुपालन किये जाने पर देय सेवा कर की रकम के बराबर की रकम दंड के रूप में अदा करनी पडेगी।

सारांश :

कारोबारी निकाय होने के नाते, बैंकों को विभिन्न कर कानूनों का अनुपालन करना आवश्यक है। आय की गणना अलग- अलग शीर्षकों के अंतर्गत की जानी है और सकल कुल आय का परिकलन किया जाता है। अध्याय VIA के अधीन पात्र कटौती को घटाकर कर पात्र आय का आकलन किया जाता है। अनुषंगी लाभ कर और बैंकिंग नकदी संव्यवहार करों के लिए भी अलग-अलग अनुपालन आवश्यक हैं।

आय कर और अनुषंगी लाभ कर अग्रिम कर के रूप में किश्तों में देय होंगे। कतिपय प्रकार के भुगतान किये जाने पर, कर स्रोत पर विशिष्ट दरों से काटा जाना चाहिये। TDS के विषय में अनुपालन की अलग-अलग आवश्यकताएं हैं। बैंकों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिये सेवा कर देय होता है और इन्हें प्रमुख रूप से बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के रूप में शामिल किया जाता है। तथापि अन्य सेवाओं के लिये अलग रजिस्ट्रेशन के जरिये अनुपालन किया जाना आवश्यक होता है। निविष्ट (इनपुट) सेवाओं के लिये सेवाकर पर आधारित देय सेवाकर के लिये सैंनवॅट क्रेडिट उपलब्ध है।

अपनी प्रगति जांचिये :

(1) निवासी हैसियत (स्थिति) और आय के स्रोत के स्थान के आधारपर आयकर अदा करने की देयता बनती है।(सही/गलत)

(2) प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से आरंभ होने वाले 12 महीनों की अवधि को वित्तीय वर्ष माना जाता है। (सही/गलत)

(3) पिछला वर्ष वह वर्ष होता है जो निर्धारण वर्ष के तत्कालिक पूर्व का वित्तीय वर्ष है। (सही/गलत)

(4) वेतनों पर ही केवल आय कर लगता है। (सही/गलत)

(5) कर की गणना करने से पहले, कर पात्र आय से छूट प्राप्त आय को घटाया जाता है। (सही/गलत)

(6) निर्धारण दो प्रकार का है। (क) संक्षिप्त निर्धारण (ख) संवीक्षा निर्धारण (सही/गलत)

(7) साझेदारी फर्म के लिये, यदि उसकी कोई आय न हो, तब आयकर विवरणी दर्ज करना आवश्यक नहीं होता। (सही/गलत)

(8) AO द्वारा निर्धारित कर ----- दिनों के भीतर अदा करना पड़ता है। (30/45)

(9) पूरा अग्रिम कर 15 मार्च से पहले अदा करना होता है। (सही/गलत)

(10) अनिवासी को भुगतान करने से पहले कर काटना पड़ता है। (सही/गलत)

(11) जिस महीने में कर की कटौती करनी हो, उसकी समाप्ति के बाद एक सप्ताह के भीतर स्त्रोत पर काटा गया कर, जमा करना पड़ता है। (सही/गलत)

(12) स्त्रोत पर कर की कटौती करनेवाले व्यक्ति को TDS की तिमाही विवरणी दर्ज करनी पड़ती है। (सही/गलत)

(13) मालिक द्वारा किया गया खर्चा, जिसे अनुषंगी लाभ के रूप में माना गया हो, या कतिपय लाभ और विशिष्ट मदों से FBT बनता है। (सही/गलत)

(14) FBT के लिये अलग विवरणी दायर करनी पड़ती है। (सही/गलत)

(15) सेवाओं पर लगाये गये कर से संबद्ध सेवा कर होता है। (सही/गलत)

(16) कतिपय निविष्ट (इनपुट) सेवाओं पर अदा किये गये कर सैनवैट क्रेडिट प्राप्त किया जा सकता है। (सही/गलत)

अपनी प्रगति जांचिये - उत्तर

(1) सही	**(2)** सही	**(3)** सही	**(4)** गलत
(5) गलत	**(6)** सही	**(7)** गलत	**(8)** 30
(9) सही	**(10)** सही	**(11)** सही	**(12)** सही
(13) सही	**(14)** गलत	**(15)** गलत	**(16)** सही

बहुपर्यायी प्रश्न:

(1) स्रोत पर कर की कटौती न किये जाने का परिणाम

(क) खर्च की अपात्रता

(ख) केवल ब्याज सहित कर देय होगा

(ग) भुगतान प्राप्त करनेवाले से कर वसूला जायेगा

(घ) भुगतान करनेवाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं होगा

(2) बैंकिंग नकदी संव्यवहार कर तब देय होगा, जब व्यक्ति द्वारा आहरण की राशि निम्न में से किससे अधिक होगी

(क) रु. 10,000/- **(ख)** रु. 10,000/- प्रति सप्ताह

(ग) रु. 50,000/- प्रति दिन **(घ)** रु. 25,000/- प्रति दिन

(3) केंद्र सरकारी खातों में बैंकिंग नकदी संव्यवहार कर कब तक जमा करना होगा :

(क) अगले महीने के 15 वें दिन

(ख) अगले महीने की 7 तारीख

(ग) चालू महीने के आखरी दिन

(घ) अगले महीने के 10 वे दिन

उत्तर - **(1)** क **(2)** ग **(3)** क

यूनिट 65 : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

संरचना/रूपरेखा :

65.0 उद्देश

65.1 प्रस्तावना

65.2 परिभाषाएं

- अपनी प्रगति जांचिये
- सारांश
- महत्वपूर्ण (प्रमुख) शब्द
- अपनी प्रगति जांचिये - उत्तर
- बहुपर्यायी (अंतिम) टर्मिनल प्रश्न

65.0 उद्देश्य :

इस इकाई का उद्देश्य सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रमुख विषयों से अवगत कराना है। यह अधिनियम अधिकांश बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर लागू होगा जो इस अधिनियम में सार्वजनिक प्राधिकारी के कार्यक्षेत्र के अधीन, परिभाषित की गई हो।

65.1 प्रस्तावना :

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को, परिभाषित करने का नागरिकों के लिये उद्देश्य सूचना का अधिकार, जिसे सार्वजनिक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंचने तथा प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और जबाबदेही का संवर्धन करना और सूचना के अधिकार की एक व्यवहारिक पद्धति स्थापित करना है। अधिनियम का उद्देश्य भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखना और सरकारों तथा उनके मध्यस्थों को सूचनातक पहुंच बनाकर जबाबदेही बनाना है। अधिनियम के प्रभावशाली क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु मशीनरी अधिनियम के तहत सृजित करना है।

65.2 प्रयोज्यता (Applicability) :

यह अधिनियम जम्मू व कश्मिर को छोड़कर पूरे भारत वर्ष पर लागू होगा। सार्वजनिक प्राधिकारियों के दायित्वों, सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के और सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के पदनाम, केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन, राज्य सूचना आयोग की स्थापना, कतिपय संगठनों पर अधिनियम लागू न होना और नियम बनाने का अधिकार तक इस अधिनियम के प्रावधानों की व्याप्ति है। यह अधिनियम 15 जून 2005 से लागू हो गया और इस तारीख से 120 दिनों के बाद इसका शेष प्रावधान प्रभावी हो गये। ये 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हो

गये। यह अधिनियम 12.10.2005 को प्रभावी होने पर सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरसित (Repealed) हो गया।

65.3 परिभाषाएं :

इस अधिनियम को उचित रूप से समझने के लिये, इस अधिनियम में परिभाषित कुछेक शब्दों के अर्थ को समझना सुसंगत होगा। इनकी चर्चा निम्नानुसार है:

शब्द उपयुक्त सरकार को सार्वजनिक प्राधिकारी की परिभाषा के अनुरूप/संदर्भ में समझना होगा वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार हो सकता है, यदि संबद्ध सार्वजनिक प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा गठित निगमित, स्थापित, नियंत्रित हो तथा उसका वित्तीयन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस सरकार या संघीय प्रदेश के प्रशासन के निधि द्वारा किया जाता हो, तब केंद्रीय सरकार उपयुक्त प्राधिकारी होगी। राज्य सरकार तब उपयुक्त प्राधिकारी होगी, जब संबद्ध सार्वजनिक प्राधिकारी उस सरकार द्वारा निगमित, स्थापित, गठित, नियंत्रित हो तथा उसका वित्तीयन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस सरकार के निधि द्वारा किया गया हो। केंद्रीय सूचना आयोग का अर्थ है केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय सूचना कमिशन।

केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी का अर्थ है, सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा पदनामित केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी है, और इसमें केंद्रीय सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी शामिल है।

सूचना का अर्थ है रिकार्ड, दस्तावेज, ई मेल, रायें सूचनाएं प्रेस प्रसारण परिपत्र आदेश लॉग बुकें, संविदाएं रिपोर्टें, कागजात, सैंपल्स मॉडेल, डाटा साधन सहित कोई भी सामग्री इलेक्ट्रॉनिक साधनों में संग्रहित डाटा, तथा किसी निजी निकाय से संबद्ध सूचना, जो, प्रभावी कानून के अधीन, सार्वजनिक प्राधिकारी की पहुंच में हो सार्वजनिक प्राधिकारी का अर्थ है कोई भी प्राधिकारी, या निकाय अथवा स्वयं सरकार जिसकी स्थापना-

(क) संविधान के अंतर्गत अथवा द्वारा की गई हो

(ख) संसद द्वारा पास किये गये कानून द्वारा

(ग) राज्य विधायी द्वारा पास किये गये कानून द्वारा

(घ) उपयुक्त सरकार द्वारा जारी, अधिसूचित आदेश द्वारा और इसमें शामिल-

(i) स्वाधिकृत, नियंत्रित, व्यापक रूप से वित्तीयित निकाय

(ii) गैर सरकारी संगठन- प्रचुर मात्रा में उपयुक्त सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निधित, वित्तीयित सूचना का अधिकार समाविष्ट रूप से परिभाषित है। इसका अर्थ है, इस अधिनियम के तहत पहुंच का सूचना अधिकार, जो सार्वजनिक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन हो और जिसमें निम्न अधिकार सम्मिलित हो:

(i) कार्य, दस्तावेज रिकार्ड का निरीक्षण

(ii) दस्तावेजों और रिकार्ड की प्रमाणित कापिया या नोटस, सारांश लेना।

(iii) वस्तुओं के प्रमाणित सैंपल लेना।

(iv) डिस्केट्स्, फ्लॉपी, टेपस् विडिओ कैसेट अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड या प्रिंट आउट के जरिये सूचना प्राप्त करना और जहां इस प्रकार की सूचना कम्पूटरों या अन्य यंत्रों में संग्रहित की जाती हो।

'राज्य सूचना कमिशन' का अर्थ है राज्य सूचना आयोग जिसका गठन इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गई हो।

अपनी प्रगति जांचिये :

(1) सूचना का अधिकार 2005 घूसखोरी पर नियंत्रण पाने के लिये अधिनियमित किया गया। (सही/गलत)

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005ए 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हो गया। (सही/गलत)

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने सूचना को स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को निरसित किया। (सही/गलत)

(4) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सभी संगठनों पर लागू होता है। (सही/गलत)

(5) केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। (सही/गलत)

सारांश :

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सार्वजनिक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन, नागरिकों को सूचना तक पहुंचना सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम का उद्देश्य है भ्रष्टाचार पर काबू पाना और प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता व जवाबदेही का संवर्धन करना है। अधिनियम चरणों में 15 जून 2005 और 12 अक्टूबर 2005 को प्रभावी किया गया, मुख्य सार्वजनिक सूचना अधिकारी और सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा की जाती है

केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सरकार, राज्य सूचना आयोग गठित करते हैं।

प्रमुख शब्द :

उपयुक्त सरकार - केंद्रीय सूचना आयोग - केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी - केंद्रीय सहायक सार्वजनिक अधिकारी - सूचना - सूचना का अधिकार - राज्य सूचना आयोग

अपनी प्रगति जांचिये : उत्तर

1. सही **2.** गलत **3.** सही **4.** गलत **5.** गलत

बहुपर्यायी टर्मिनल प्रश्न:

1. सार्वजनिक (पब्लिक) प्राधिकारी का अर्थ है -

(क) सरकार द्वारा गठित प्राधिकारी

(ख) कानून द्वारा स्थापित प्राधिकारी

(ग) गैर सरकारी संगठन

(घ) कोई भी प्राधिकारी या निकाय या स्वयं सरकारी की संस्था जिसका गठन संसद द्वारा पारित कानून या संविधान या राज्य विधाई द्वारा पास किया गया कानून उपयुक्त सरकार द्वारा जारी आदेश या अधिसूचना द्वारा किया गया हो।

2. सूचना का अधिकार का अर्थ है ऐसा अधिकार -

(क) कार्य, दस्तावेज और रिकार्डों का निरीक्षण

(ख) नोट, सारांश या दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां रिकार्ड करना

(ग) वस्तुओं के सैंपलों की प्रमाणित प्रतियां

(घ) उपर्युक्त सभी, और डिस्केट्स, फ्लॉपीज् इत्यादि में सूचना प्राप्त करना कम्पूटर या अन्य किसी यंत्र में संग्रहित सूचना

उत्तर : **1.** घ **2.** घ

यूनिट 66 : सूचना का अधिकार और सार्वजनिक प्राधिकारियों का दायित्व

संरचना/रूपरेखा :

66.0 उद्देश्य

66.1 प्रस्तावना

66.2 सार्वजनिक प्राधिकारियों का दायित्व

66.3 सूचना प्राप्त करने की पद्धति

66.4 अनुरोध का निपटान

66.5 अपील

66.6 अपीलों में आदेश

66.7 दंड

- सारांश
- अपनी प्रगति जांचिये
- संदर्भ

66.0 उद्देश्य :

यह इकाई सार्वजनिक प्राधिकारियों का दायित्व सूचना प्राप्त करने की पद्धति और प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचना इत्यादि के विषय में स्पष्टीकरण।

66.1 प्रस्तावना :

प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी अपने सभी रिकार्ड, सूचीबद्ध और कैटलॉगयुक्त रखें, जिससे सूचना का अधिकार सुविधाजनक होता है और यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे सभी रिकार्ड जो कम्पयूटरीकरणार्थ सुयोग्य हैं, संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन और समुचित अवधि के भीतर, विभिन्न प्रणालियों पर और नेटवर्क के जरिये जोडे गये और कम्पूटरीकृत हो, ताकि ऐसे रिकार्ड तक पहुंच सुविधाजनक हो।

66.2 सार्वजनिक प्राधिकारियों का दायित्व :

PIO सभी प्रशासनिक इकाईयों में पदनामित अधिकारी होते हैं अथवा उसके अधीन कार्यालयों के जरिये अधिनियम के अधीन अनुरोधित सूचना नागरिकों तक पहुंचायी जाती है। कोई अधिकारी जिसकी सहायता PIO द्वारा मांगी जाती है, उसके या उसीके कार्य का उचित निर्वहन के लिये, जब कभी आवश्यक हो, सहायता प्रदान की जायेगी।

66.3 सूचना प्राप्त करने के लिये पद्धति :

* सूचना की मांग करनेवाले व्यक्तियों से प्राप्त अनुरोधों पर उचित कार्रवाई करेंगे और जहां अनुरोध लिखित रूप में नहीं किया जा सकता

हो, उसे लिखित रूप में या घटाने/उतारने हेतु उसकी समुचित सहायता करेंगे।

* यदि मांगी गई सूचना, अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी के कार्य से संबंधित निकट से जुडी हो, लंबित हो, तब **PIO** 5 दिनों के भीतर अनुरोध अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और आवेदक को तत्काल सूचित करेगा।

* **PIO** अपने कार्य का उचित निर्वहन करने हेतु अन्य किसी अधिकारी से सहायता मांग सकता है।

* **PIO** अनुरोध की प्राप्तिपर, जितनी तेजी से संभव हो और किसी भी हालत में शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, निर्धारित की गई फीस के भुगतान पर सूचना मुहैया करायेगा अथवा धारा 8 या धारा 9 में निर्दिष्ट कारणों के अनुसार अनुरोध अस्वीकारा जाये।

* जहां अनुरोध की गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वातंत्र्य से संबंद्ध हो। उसे अनुरोध प्राप्ति से अडतालीस घंटों के भीतर मांगी गई सूचना उपलब्ध करानी होगी।

66.4 अनुरोध का निपटान :

यदि **PIO** निर्दिष्ट अवधि के भीतर, अनुरोध पर निर्णय देने के लिये चूकता है, तब उसने अनुरोध अस्वीकार किया ऐसा माना जायेगा, जहां अनुरोध नकारा जाता है, तब **PIO** अनुरोधकर्ता को सांप्रेषित करेगा।

(1) नकारे जाने के कारण

(2) कितनी अवधि के भीतर ऐसे अस्वीकृत के विरुद्ध अपील किया जा सकेगा और अपीलीय प्राधिकारी के ब्यौरे।

PIO मांगे गये फार्म में सूचना प्रदान करेगा बशर्ते यह सूचना सार्वजनिक प्राधिकारी के संसाधन अनुपातहीन प्रकार से विचलित करता हो अथवा प्रश्नाधीन सूचना सुरक्षा या रिकार्ड के रक्षण के विरुद्ध हो।

यदि आंशिक पहुंच अनुमत हो, PIO आवेदक को यह बताते हुए नोटीस जारी करेगा कि -

(क) अनुरोधित रिकार्ड का कुछेक अंश, जो रिकार्ड जांचे जानेपर प्रकटन हेतु छूट है, वही दी जायेगी।

(ख) प्रश्न के व्यावहारिक पहलू की सत्यता परखने सहित निर्णय के कारण जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाले गये, यह बताया जायेगा।

(ग) निर्णय देनेवाले व्यक्ति का नाम और पदनाम दिया जायेगा।

(घ) उसके द्वारा परिकलित फीस का ब्यौरा और आवेदक द्वारा जमा करने योग्य फीस की रकम।

(च) सूचना का कुछ अंश प्रकटीकरण न किये जाने के निर्णय की पुनरीक्षा करने के उसके अधिकार के लिये प्रभारित फीस या अभिगम (ॲक्सेस) दिये जाने का प्रकार।

(क) मांगी गयी सूचना किसी तृतीय पक्ष द्वारा मुहैया करायी गई हो, अथवा तृतीय पक्ष द्वारा, इसे गोपनीय माना गया हो, तब PIO अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 5 दिनों के भीतर तृतीय पक्ष को नोटीस जारी करेगा और उसके प्रतिवेदन पर विचार करेगा तृतीय पक्ष को PIO के समक्ष, नोटिस प्राप्ति से 10 दिनों के अंदर अपना प्रतिवेदन देने का अवसर दिया जाना चाहिये।

(ख) फीस का भुगतान :

सूचना के अधिकार (फीस और लागत विनियमन) के नियमों के अनुसार, आवेदक को आवेदन के साथ 10 रु. की फीस देनी होगी इसे उचित रसीद के पेटे नकदी में, या मांग ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या इंडियन पोस्टल ऑर्डर के जरिये अदा किया जा सकता है। सार्वजनिक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी को लिखत देय होगा।

(ग) अनुरोध का निपटान :

यदि आवेदन दूसरे सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया हो अथवा सूचना दूसरे सार्वजनिक प्राधिकारी के कार्य के साथ निकट से जुडी हुई हो, तब दूसरे सार्वजनिक प्राधिकारी के पास आवेदन प्राप्ति के पांच दिनों के भीतर अंतरित किया जाना चाहिये और इस अंतरण के बारे में आवेदक को सूचित किया जाना चाहिये।

आवेदन यदि प्राप्तकर्ता सार्वजनिक अधिकारी से संबंधित हो, तब सूचना तेज गति से, तीस दिनों के भीतर, उपलब्ध करायी जानी होगी।

यदि मांगी गई सूचना व्यक्ति के जीवन या स्वातंत्र्य से संबद्ध हो, तब अनुरोध मिलने से अडतालीस घंटो के भीतर उसे देना होगा।

आवेदक के लिये, उसे सूचना देने के लिये प्रभार का भुगतान करना जरुरी है। लागत के परिकलन हेतु प्रभारों का निर्धारण नियमों में किया गया है। प्रभारों की गणना निम्नांकित दरों पर की जानी होगीः-

(क) A-4 या A-3 आकार का पेपर तैयार करने या कापी करने हेतु प्रति पृष्ठ रुपये दो।

(ख) बड़े आकार के पेपर (कागज) के लिये वास्तविक खर्चा या खरीद की कीमत।

(ग) सैंपलों या मॉडेलों के लिये वास्तविक खरीद या कीमत। और

(घ) रिकार्ड के निरीक्षण के लिये, पहले घंटे के लिये कोई फीस नहीं और उसके बाद प्रत्येक पंद्रह मिनिटों या उसके अपूर्ण हिस्से के लिये रु. पांच की फीस होगी। बची फीस का भुगतान करने हेतु भेजी गयी प्रेषण की सूचना और वास्तविक भुगतान की तारीख, इस बीच के अवधि को, तीस दिनों की गणना में छोड दिया जायेगा।

जिस फार्म में सूचना मांगी गई होगी, सामान्यतः उसी फार्म में दी जानी चाहिये, बशर्ते कि वह सार्वजनिक प्राधिकारी के संसाधन अनुपातहीन अपवर्तीत होते हों, अथवा प्रश्नाधीन रिकार्ड के अनुरक्षण या सुरक्षा के विपरीत हो।

यदि केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी, अनुरोधित सूचना पर पैंतीस दिनों के भीतर निर्णय देने में चूक करता है, तब अनुरोध अस्वीकारा गया, ऐसा माना जाना चाहिये।

(घ) तृतीय पक्ष सूचना :

तृतीय पक्ष का अर्थ है, अनुरोध करनेवाले नागरिक के अलावा अन्य व्यक्ति और इसमें सार्वजनिक प्राधिकारी शामिल हैं, जहां केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी कोई सूचना या रिकार्ड या उसका अंश जो तृतीय पक्ष द्वारा मुहैय्या कराया गया हो, या उससे संबद्ध हो, प्रकट करना चाहता हो, और उसे तृतीय पक्ष द्वारा गोपनीय माना गया हो, तब केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्ति से पांच दिनों के भीतर, तृतीय पक्ष को एक लिखित नोटीस जारी करेगा कि वह सूचना प्रकट करना चाहता है। ऐसी नोटीस प्राप्ति से दस दिनों के भीतर तृतीय पक्ष अपनी मौखिक या लिखित रूप में प्रस्तुति करेगा और जिस पर केंद्रीय सूचना अधिकारी को गौर करना होगा। व्यापारिक या वाणिज्यिक गुप्तताएं, जिन्हें कानून का संरक्षण हो को छोड़कर तृतीय पक्ष सूचना का

प्रकटीकरण अनुमत है, बशर्ते कि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित में कोई अतिभार हो महत्वपूर्ण बाधा या तृतीय पक्ष के हित में कोई क्षति पहुँचती हो।

तृतीय पक्ष को दी गई नोटिस में यह बताया जाना चाहिये कि तृतीय पक्ष सूचना के प्रकटीकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार रखता है।

(च) अनुरोध का अस्वीकार :

जहां अभिगत (ॲक्सेस) मिलने हेतु किया गया अनुरोध जिसमें, कॉपीराइट का अतिलंघन (इनफ्रिजमेंट) किसी व्यक्ति में राज्य को छोड़कर विद्यमान हो, वहां सूचना हेतु अनुरोध अस्वीकार किया जा सकता है जहां अनुरोध का अस्वीकार किया गया हो, केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी अनुरोध करनेवाले व्यक्ति को ऐसे अस्वीकार के कारण अपीलीय प्राधिकारी के ब्यौरे और कितनी अवधि के भीतर अस्वीकार के विरुद्ध अपील दर्ज किया जा सकता है, संप्रेषित करने होंगे।

(छ) प्रकटीकरण से छूट - प्राप्त सूचना :

प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचना को अधिनियम में सूचीबद्ध किया गया है इनमें शामिल है :

(क) ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से भारत की एकता और संप्रभुता पर विपरित/प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(ख) ऐसी सूचना जिसे कानून द्वारा प्रतिबंध किया हो अथवा जो न्यायालय की अवमानना करती हो।

(ग) प्रकटीकरण से संसद के या राज्य विधिमंडळ के विशेषाधिकार का भंग होता हो।

(घ) विद्वत्तायुक्त आस्तियों या व्यापारिक गुपित या वाणिज्यिक विश्वास से संबंधित सूचना।

(च) अपने वैश्वासिक संबंध में किसी व्यक्ति को उपलब्ध सूचना।

(ज) विदेशी सरकार से प्राप्त विश्वसनीय सूचना।

(झ) ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से व्यक्ति का जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ती हो।

(ट) ऐसी सूचना जिससे जांच की प्रक्रिया, या आशंका, या अपराधियों के अभियोजन (प्रॉसिक्युशन) में बाधा आती हो।

(ठ) मंत्री परिषद, की सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के रिकार्ड सहित कॅबिनेट कागजात (पेपर्स) सूचीबद्ध मदों (क) (ग) और (ठ) के संबंध में किसी ऐसी घटना जो, अनुरोध किये जाने के बीस साल पहले घटित या हो गई हो, तब अनुरोधकर्ता को जानकारी दी जायेगी।

66.5 अपील :

केंद्रीय सरकार को केंद्रीय सूचना आयोग नामक निकाय गठित करने का अधिकार है। राज्य सरकार को राज्य सूचना आयोग नामक निकाय गठित करने का अधिकार हैं जहां राज्य सरकार उपयुक्त प्राधिकारी है वहां अधिनियम के प्रावधानों को प्रशासित करने का अधिकार राज्य आयोग को है। केंद्रीय सूचना आयोग, (राज्य सूचना आयोग भी जहां उसका अधिकार क्षेत्र हो) को किसी व्यक्ति से प्राप्त शिकायत को प्राप्त करने और जांच करने के लिये प्राधिकृत किया गया है।

(क) यदि केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी के पास शिकायत वह प्रस्तुत नहीं कर सकता, अथवा सूचना हेतु उसका आवेदन या अपील, जिसे केंद्रीय सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी द्वारा स्वीकारा जाना हो, यदि नकारा जाता है तबः-

(ख) इस अधिनियम के अधीन, किसी सूचना की पहुंच (ॲक्सेस) हेतु उसे अस्वीकार किया गया हो।

(ग) सूचना के लिये अनुरोध पर कोई उत्तर/प्रतिक्रिया न दिया गया हो।

(घ) जिसके लिये फीस का भुगतान करना आवश्यक हो, और जिसे वह असमुचित समझता हो।

(च) वह विश्वास करता है कि उसे, अपूर्ण, भ्रामक या गलत, सूचना दी गई है।

(छ) इस अधिनियम के अधीन अन्य किसी विषय के बारे में कोई भी व्यक्ति जिसे विनिर्दिष्ट अवधि (सामान्यतः 30 दिन) के भीतर निर्णय नहीं मिलता हो, अथवा वह केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी के निर्णय से दुःखी या अपमानित हो, तब वह इस निर्णय की प्राप्ति से अथवा अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील ऐसे अधिकारी के पास करें, जो प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी में, केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकार से क्रम में वरिष्ठ हो। अपीलीय प्राधिकारी को अपील दर्ज करने में हुए विलंब को माफ करने का अधिकार है, बशर्ते अपीलकर्ता की इस दलील, कि वह पर्याप्त कारणों के निमित्त अपील समयावधि में, दर्ज नहीं कर सका, से वह सहमत हो। यदि अपील तृतीय पक्ष सूचना के विरुद्ध हो, तब संबद्ध तृतीय पक्ष द्वारा आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपील दर्ज करना होगा।

अपीलीय प्राधिकारी के निर्णया विरुद्ध केंद्रीय सूचना कमिशन के समक्ष (या राज्य सूचना आयोग) दूसरा अपील किया जा सकता है, और उसे निर्णय लिये जाने की तारीख या उसे वास्तविक रूप से प्राप्त किये जाने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर दर्ज किया जाना चाहिये।

अपील का निपटान अपील प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर करना होगा अथवा ऐसे विस्तारित अवधि के भीतर जो दर्ज किये जाने की तारीख से पैंतालीस दिनों से अधिक न हो। केंद्रीय सूचना आयोग का निर्णय पक्षों/पार्टी पर बाध्यकारी होगा।

66.6 अपील में आदेश :

अपील के निर्णय में, केंद्रीय सूचना आयोग निम्नांकित आदेश पास कर सकता है :

(क) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालनार्थ सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा आवश्यक किसी कदम उठाने हेतु निम्नलिखित आवश्यक है:-

(I) विशिष्ट फार्म में सूचना तक पहुंच के लिये प्रावधान।

(II) केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी इत्यादि की नियुक्ति।

(ख) शिकायतकर्ता को किसी नुकसान/हानि या अन्य विपरीत/प्रतिकूल घटित होने पर सार्वजनिक प्राधिकार की आवश्यकता।

(ग) इस अधिनियम के अधीन प्रावधित किसी भी दंडों को अधिरोपित करना।

(घ) अपील खारीज़ करना।

66.7 दंड/शास्ति:

केंद्रीय सूचना आयोग को, सूचना दिये जाने तक रु. दो सौ पचास को प्रति दिन, अधिकतम रु. पचीस हजार के अध्यधीन दंड अधिरोपित करने का अधिकार है। दंड अधिरोपित करने से पहले पक्षकारों की सुनवाई की जाने का अवसर कमिशन देगा। केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी के विरुद्ध, उस पर लागू सेवा नियमों के अंतर्गत, अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार तभी है जब वह सुनिश्चित करे कि केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी ने

(i) बिना समुचित कारण, सूचना हेतु आवेदन प्राप्त करने हेतु चूक की है या

(ii) विनिर्दिष्ट अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं की है या

(iii) असद्भावपूर्ण तरीके से सूचना हेतु अनुरोध नकारा हो अथवा

(iv) जानते हुए भी गलत, अपूर्ण, या भ्रामक सूचना दी हो या

(v) ऐसी सूचना नष्ट कर दी हो जो अनुरोध का विषय था या

(vi) सूचना देने में बाधा डाली।

सारांश :

सूचना का अधिकार 2005 अधिनियम, प्रत्येक नागरिक को, किसी सार्वजनिक प्राधिकारी से सूचना की मांग करने का प्राधिकार अधिनियम के अंतर्गत देता है। सूचना हेतु अनुरोध के लिये कोई कारण देने की जरुरत नहीं है। प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी के लिये संगठन विषयक उसके कर्मचारी इत्यादि विषयक विनिर्दिष्ट सूचना प्रदर्शित करना आवश्यक है, और इसे समय-समय पर अद्यतन करना चाहिये। प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी के लिये आवश्यक है कि अपने एक या अधिक अधिकारी केंद्रीय सार्वजनिक अधिकारी के रूप में पदनामित करें और शाखा में, जिला स्तरीय केंद्रीय सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी रखें। केंद्रीय सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी के लिये आवश्यक है, कि सूचना हेतु प्राप्त अनुरोध प्राप्त किये जाने से पांच दिनों के भीतर केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी को प्रेषित करें। आवेदन तथा सूचना उपलब्ध कराने की कीमत, दोनों के लिये फीस निर्धारित की गई है। सूचना तीस दिनों के भीतर उपलब्ध करानी होगी। जहां तृतीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत सूचना

का प्रकटीकरण करना हो और केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी उसे प्रकट करना चाहता हो, तब, वह अनुरोध मिलने के पांच दिनों के भीतर तृतीय पक्ष को अपने प्रकटीकरण के निर्णय से लिखित रूप से अवगत कराएं/संप्रेषित करें। तृतीय पक्ष को प्रतिवेदन देने को अधिकार है। अधिनियम में यह प्रावधान है कि केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी से क्रम में वरिष्ठ अधिकारी के पास उसके अप्रकटीकरण या तृतीय पक्ष की सूचना प्रकटीकरण करने के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है। आगे का अपील केंद्रीय सूचना कमीशन को करना होगा। अपील नब्बे दिनों के भीतर दायर करना होगा। अधिनियम विभिन्न अपराधों के लिये अधिनियम के अधीन दंड/शास्ति निर्धारित करता है।

अपनी प्रगति जांचिये :

1. सार्वजनिक प्राधिकारी से सूचना के अधिकार, अधिनियम के अधीन प्रत्येक नागरिक सूचना प्राप्त करने का हकदार है। (सही/गलत)

2. प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी के लिये, अपने संगठन कर्मचारी इत्यादि के विषय में सूचना प्रदर्शित करना आवश्यक है और इसे आवधिक तौर पर अद्यतन करना होगा। (सही/गलत)

3. प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकार में, केंद्रीय सरकार केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी नियुक्त करता है। (सही/गलत)

4. सूचना मांगनेवाले व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने के कारण बताने होंगे। (सही/गलत)

5. केंद्रीय सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी को चाहिये कि वह सूचना हेतु अनुरोध, संबद्ध सार्वजनिक प्राधिकारी के पास अनुरोध प्राप्त होने के पांच

दिनों के भीतर प्रेषित करें यदि वह उसके संगठन से संबद्ध न हो। (सही/गलत)

6. सूचना के लिये अनुरोध का निपटान सामान्यतः 30 दिनों के भीतर करना चाहिये। (सही/गलत)

7. सार्वजनिक प्राधिकारी से तृतीय पक्ष सूचना नहीं प्राप्त कर सकती है। (सही/गलत)

8. यदि अनुरोधित सूचना न दी जाये, तब उसे अस्वीकार किया गया माना जाना चाहिये। (सही/गलत)

9. यदि केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी सूचना देने के लिये नकारता है, तब उसका निवारण नहीं हो सकता। (सही/गलत)

10. केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है, यदि वह विनिर्दिष्ट अवधि में सूचना प्रस्तुतीकरण के लिये चूकता है। (सही/गलत)

अपनी प्रगति जांचिये - उत्तर

1) सही **2)** सही **3)** गलत **4)** गलत **5)** सही
6) सही **7)** गलत **8)** सही **9)** गलत **10)** सही

संदर्भ :

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 Bare Act.
सूचना का अधिकार नियम।

यूनिट 67 : धनशोधन निवारण अधिनियम 2002

संरचना/रूपरेखा :

67.0 उद्देश्य

67.1 प्रस्तावना

67.2 धनशोधन का अपराध

67.3 धनशोधन के लिये दंड

67.4 बैंकिंग कंपनियां, वित्तीय संस्थाएं और मध्यस्थों का दायित्व

67.5 नियमावली

67.6 रिकार्डों का रखरखाव

67.7 रिकार्डों में समाविष्ट जानकारी

67.8 सूचना के रखरखाव के लिये पद्धति

67.9 सूचना प्रस्तुति के लिये पद्धति

67.10 ग्राहकों की पहचान के रिकार्डों का सत्यापन

67.11 ग्राहकों की पहचान के रिकार्डों का रखरखाव

- सारांश
- अपनी प्रगति जांचिये
- अपनी प्रगति जांचिये - उत्तर
- संदर्भ

67.0 उद्देश्य :

इस यूनिट का उद्देश्य है कि धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 की आवश्यकताओं से और संव्यवहारों पर प्रतिबंध लगाने विषयक बनाये गये नियमों से परिचित कराना है।

67.1 प्रस्तावना :

धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 धनशोधन निवारण और उससे अर्जित, या संबंद्ध परिसंपत्ति का, धनशोधनार्थ, अधिहरण करने के प्रावधानार्थ इसे अधिनियमित किया गया बैंकिंग मशीनरी/प्रणाली का उपयोग धनशोधन में उदारता/अनुग्रह दर्शानेवाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, बैंकिंग मशीनरी के दुरुपयोग को बचाने के लिये, एक अलग अध्याय जैसे अध्याय IV जो बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, और मध्यस्थों के दायित्वों विषयक, इस अधिनियम में समाविष्ट है। केंद्रीय सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ सलाह मशविरे के बाद नियम बनाये हैं जैसे, धनशोधन निवारक स्वरूप और संव्यवहारों के मूल्य इत्यादि के रिकार्ड के रखरखाव संबद्ध नियम 2004।

67.2 धनशोषण का अपराध :

अधिनियम में, धनशोधन की कोई परिभाषा नहीं है। तथापि अधिनियम की धारा 3 यह बताती है कि कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से प्रयास करता हो, या जानते हुए सहायता करता है, या जानकर भी किसी पार्टी या वास्तविक रूप से किसी पद्धति, या सक्रिय रूप से अपराध की आगम रकम (प्रोसिड्स) से जुड़ा हुआ हो, और इसे बेदाग या निष्कलंक

परिसंपत्ति के रूप में बताता हो, उसे, धनशोषण के अपराध या दोषी माना जायेगा।

67.3 धनशोषण के लिये दंड (सजा) :

जो भी कोई धनशोषण का अपराध करता हो, उसे कम से कम तीन साल की अवधि के लिये कठोर कारावास का दंड दिया जाना चाहिये तथापि इसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और साथ-साथ रु. पांच लाख तक दंड के लिये वह पात्र होगा। यदि अपराध नारकोटिक ड्रग्ज़ और सायकोट्रॉपिक वस्तुएं अधिनियम 1985 के दायरे में हो, तब अधिकतम सजा दस साल के कारावास तक बढ़ सकती है।

67.4 बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, और मध्यस्थों का दायित्व :

प्रत्येक बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यस्थ के लिये आवश्यक है किः

(क) सभी संव्यवहारों का रिकार्ड रखना, प्रकार और मूल्य नियमों में विनिर्दिष्टित ये संव्यवहार एकल संव्यवहार या शृंखला युक्त संव्यवहार जो आपसी एक दूसरे से जुड़े हुए हों, और ये शृंखला युक्त संव्यवहार एक महीने के भीतर घटित हों।

(ख) निर्धारित अवधि के भीतर ऐसे संव्यवहारों की सूचना निर्देशक को दी जानी चाहिये।

(ग) सभी ग्राहकों की पहचान के रिकार्ड रखे जाने चाहिये और सत्यापित होने चाहिये।

बैंकिंग कंपनी वित्तीय संस्था या मध्यस्थ और ग्राहक के बीच के सभी संव्यवहार उनके बंद/समाप्त होने की तारीख से दस साल तक रखे जाने चाहिये। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक को रिकार्ड मंगाने, और

जांच करवाने या जांच करवाने के आदेश देने का अधिकार होता है। वह यदि पाता है कि बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्था, या मध्यस्थ ने आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है, वह बैंकिंग कंपनी पर दंड अभिरोपित कर सकता है, जो कम से कम दस हजार रुपये है, लेकिन एक लाख रुपये तक बढ़ सकता है। अधिनियम विशेष रूप से प्रावधान कर सकता है कि बैंकिंग कंपनियां और उसके अधिकारी सूचना देने हेतु उनके विरुद्ध किसी सिविल कार्यवाही के लिये पात्र नहीं होंगे।

67.5 बनाये गये नियम :

केंद्रीय सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ विचार विमर्श कर के, धनशोधन निवारण नेचर और मूल्य संव्यवहारों के रिकार्डों का रखरखाव, की पद्धति और रखने का तरीका, सूचना प्रस्तुत करने की अवधि, बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों के ग्राहकों की पहचान, रिकार्डों का रखरखाव और सत्यापन इत्यादि से, संबंधित 'नियम 2004' बनाये हैं।

67.6 रिकार्डों का रखरखाव :

अधिनियम में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक बैंकिंग कंपनी वित्तीय संस्था या मध्यस्थों द्वारा निम्न रिकार्डों का रखरखाव करना होगा यथा :-

(क) रु. दस लाख के ऊपर के सभी नकदी, या विदेशाी मुद्रा में उसके समतुल्य संव्यवहार के संव्यवहार

(ख) एक दूसरे के साथ अंगभूत रूप से जुडे हुए नकदी संव्यवहार की सभी शृंखलाएं जिनका मूल्य रु. 10 लाख, से कम या विदेशी मुद्रा में उसके समतुल्य, जहां इस प्रकार के संव्यवहारों की शृंखला एक महीने के भीतर घटी हो।

(ग) सभी नकदी संव्यवहार जहां जाली या बनावटी करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली नोटों के रूप में उपयोग में लाया गया हो, और मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी हुई हो।

(घ) सभी प्रकार के संदेहजनक संव्यवहार, चाहे नकदी में घटित हो या नहीं और इस प्रकार :

(i) जमाराशियां और जमाएं, आहरणें खातें में या खातों से, चाहे किसी भी नाम में, उनका संदर्भ हो या किसी भी करेंसी में इस प्रकार रखा गया हो,

(क) चेकों, थर्ड पार्टी चेकों सहित, पे ऑर्डर्स, मांग ड्राफ्टस्, कैशियर्स चेकों, या अन्य कोई लिखत अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्राप्तियों सहित धन का भुगतान, या जमाएं और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान या नामें (डेबिट्स) या

(ख) यात्रा चेक अथवा

(ग) बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्था, और मध्यस्थ संस्था के भीतर एक खाते से अंतरण, नास्ट्रो और वास्ट्रो खातों से, या में, सहित, जो भी स्थिति हो, अथवा

(घ) अन्य कोई तरीका, किसी भी नाम में उसका संदर्भ हो।

(ii) किसी अमौद्रिक खाते से या में जमा या नामे, जैसे डिमैट खाता, बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यस्थ द्वारा रखा गया प्रतिभूति खाता, जो भी स्थिति हो।

(iii) भारत से, या विदेश से, और तृतीय पक्ष लाभार्थी के पक्ष में, भारत स्थित या विदेशी, उसके अपने खाते सहित, धन प्रेषण, या धन अंतरण, उसके ग्राहकों के गैर ग्राहकों के पक्ष में निम्न में से किसी भी प्रकार से :

(क) भुगतान आदेश या

(ख) कैशियर चेक या

(ग) मांग ड्राफ्ट या

(घ) टेलीग्राफिक या वायर अंतरण या इलेक्ट्रॉनिक धन प्रेषण या अंतरण या

(च) ब्याज अंतरण या

(छ) स्वचालित समाशोधन गृह धनप्रेषण या

(ज) लॉग बॉक्स चलित अंतरण या धनप्रेषण या

(झ) जमा हेतु धनप्रेषण अथवा इलेक्ट्रॉनिक कार्डों का लोडिंग या

(ट) अन्य कोई तरीके का धन अंतरण उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो।

(iv) साख या ऋण सबस्टीट्यूट सहित ऋण और अग्रिम निवेश और आकस्मिक देयता के जरिये;

(क) ऋण लिखतों के लिये अंशदान जैसे, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र, अधिमानित शेयर डिबेंचर्स प्रतिभूतिक सहभागिता, अंतर बैंक सहभागिता, अथवा प्रतिभूतियों में अन्य कोई निवेश अथवा तत्संबंधी जो भी फार्म और नाम में वह संदर्भित हो अथवा

(ख) बिलों, चेकों, और अन्य लिखतों की खरीद या परक्रामण या

(ग) विदेशी मुद्रा संविदाएं, करेंसी, ब्याज दर और कमोडिटी (माल) और अन्य कोई डेरिवेटिव लिखत, जो भी नाम में उसे जाना जाता हो, अथवा

(घ) साख पत्र, स्टैंड बाय साख पत्र, गारंटिया, कंफर्ट पत्रों, शोध क्षमता (सालवंसी) प्रमाणपत्र, और अन्य कोई लिखत जो निपटान (सेटलमैंट) और या क्रेडिट सपोर्ट/समर्थनार्थ हो।

(v) वसूली सेवा, बिलों की, चेकों की, लिखतों की वसूली के रूप में, किसी भी मुद्रा/करेंसी में हो, या वसूली का अन्य कोई तरीका, चाहे वह किसी भी नाम में वह संदर्भित हो।

67.7 रिकार्डों में सम्मिलित जानकारी/सूचना :

रिकार्डों में निम्नलिखित जानकारी/सूचना शामिल हो:-

(क) संव्यवहार का प्रकार

(ख) संव्यवहार की रकम और कौनसी करेंसी में और उसका मूल्यवर्ग,

(ग) जिस तारीख को संव्यवहार किया गया हो वह तारीख और

(घ) संव्यवहारों के पक्षकार/पार्टिया

67.8 सूचना के रखरखाव की पद्धति :

संव्यवहारों की जानकारी की हार्ड और सॉफ्ट कापी, भारतीय रिज़र्व बैंक या सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट पद्धति और प्रणालि के अनुसार रखनी होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक या सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट, अंतराल पर, ऐसी जानकारी/सूचना विशिष्ट प्रकार से, रखने हेतु, बैंकिंग कंपनी को

रचनातंत्र/मैकॅनिजम् बनाना पड़ेगा। बैंकिंग कंपनी का यह कर्तव्य है कि आरबीआई या सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट पद्धति, प्रक्रिया, के अनुरुप रिकार्ड का रखरखाव करना होगा।

67.9 सूचना प्रस्तुत करने की पद्धति :

बैंकिंग कंपनी का प्रमुख अधिकारी संव्यवहारों से संबद्ध सूचना, प्रति माह निदेशक को, अगले माह की सात तारीख तक प्रस्तुत करेगा। यदि संव्यवहार

(क) जाली या बनावटी करेंसी नोटों या बैंक नोटों या मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी अथवा

(ख) सभी प्रकार के संदेहजनक संव्यवहार, जो नकदी में हो या अन्यथा हों, से संबद्ध हों, उन्हें तत्परता से, लिखित रूप में, या फैक्स, या इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिये, इस प्रकार के संव्यवहार घटित होने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर डायरेक्टर/निदेशक को प्रस्तुत करना चाहिये।

67.10 ग्राहकों की पहचान (शिनाख्त) के रिकार्ड का सत्यापन :

विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के विषय में प्राप्त किये जानेवाले या सत्यापित किये जानेवाले रिकार्ड के बारे में नियम निर्धारित है। नियम अधिदेशित करते हैं, कि प्रत्येक बैंकिंग कंपनी, खाता खोलते समय या उसके साथ कोई संव्यवहार निष्पादित करते समय, ग्राहक की पहचान, वर्तमान पता, या पते, स्थायी पते सहित ग्राहक के व्यवसाय का स्वरूप; तथा उसकी वित्तीय हैसियत के बारे में रिकार्ड सत्यापन सहित, रखा जाना चाहिये। खाता खोलते समय या संव्यवहार निष्पादित करते समय यदि पहचान का सत्यापन संभव न हो, तब बैंकिंग कंपनी को खाता खोले जाने के बाद या

संव्यवहार निष्पादित किये जाने पर समुचित अवधि में ग्राहक की पहचान का सत्यापन करना चाहिये।

ग्राहकों की पहचान का सत्यापन करने हेतु, लिये जानेवाले दस्तावेजों/कागजातों, ग्राहक के प्रकारानुरूप बदलते हैं। वे नीचे सूचीबद्ध किये गये हैं :

(क) व्यक्तिगत :

उसका वर्तमान पता, स्थायी पता, उसके व्यवसाय का प्रकार और उसकी वित्तीय हैसियत से संबद्ध विस्तृत ब्यौरे की अधिकारिक वैध दस्तावेज़/कागजातों की प्रमाणित एक कापी।

(ख) कंपनी :

1. निगमन का प्रमाणपत्र

2. मेमोरँडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन

3. बोर्ड रिजोल्युशन (संकल्प) या अटर्नी अधिकार

4. खाता परिचालन करनेवाले व्यक्ति के बारे में अधिकारिक वैध दस्तावेज़/कागजात

(ग) साझेदारी फर्म :

1. रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र

2. साझेदारी विलेख

3. संव्यवहार करनेवाले व्यक्ति के बारे में अधिकारिक वैध दस्तावेज़/कागजात

(घ) न्यास (ट्रस्ट) :

1. रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र

2. न्यास विलेख और

3. संव्यवहार करनेवाले व्यक्ति के बारे में अधिकारिक वैध दस्तावेज़/कागजात

(च) अनिगमित संघ (एसोसिएशन)

1. कार्यसमिति का संकल्प

2. संव्यवहार करनेवाले व्यक्ति के पक्ष में अटर्नी अधिकार और

3. संघ या व्यक्तियों के निकाय का कानूनी अस्तित्व स्थापित करनेवाली सूचना/कागजात जो भी आवश्यक हो, बैंकिंग कंपनी द्वारा, प्राप्त किये जाने चाहिये।

67.11 ग्राहकों की पहचान के रिकार्डों का रखरखाव :

ग्राहकों की पहचान से संबद्ध रिकार्ड, ग्राहक और बैंकिंग कंपनी के बीच के संव्यवहार समाप्त/बंद होने की तारीख से दस साल तक रखे जाने चाहिये।

सारांश :

धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 धनशोधन से बचने के लिये अधिनियमित किया गया। अधिनियम में धनशोधन के अपराध के लिये कठोर दंड का प्रावधान है। बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, और मध्यस्थों पर कतिपय दायित्व सौंपे गये हैं, कि वे, संव्यवहारों का तथा, ग्राहकों की पहचान का रिकार्ड रखें इत्यादि। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक (डायरेक्टर) को अधिकार है कि वह रिकार्ड की मांग करें और यदि बैंकिंग कंपनी द्वारा अधिनियम की आवश्यकताओं पर अंमल करने में चूक हुई हो, ऐसा पाया गया हो, तब वह दंड अधिरोपित कर सकता है। केंद्रीय सरकार ने आरबीआई के साथ विचार-विमर्श करके नियम बनाये हैं। नियमों में निर्धारित किया गया है; कि कौनसे रिकार्ड रखने हैं, कौनसे रिकार्ड का रखरखाव करना है, ग्राहक की पहचान, और संव्यवहारों विषयक सूचनाएं, निर्देशक को प्रस्तुत करना इत्यादि।

अपनी प्रगति जांचिये :

1. धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 बैंकिंग संव्यवहारों पर लागू नहीं होता। (सही/गलत)

2. धनशोधन शब्द की परिभाषा धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 में दी गई है। (सही/गलत)

3. अधिनियम के अधीन निदेशक की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाती है। (सही/गलत)

4. अधिनियम के तहत विनिर्धारित संव्यवहारों का रिकार्ड दस साल तक रखा जाना चाहिये। (सही/गलत)

5. बैंकिंग कंपनी द्वारा रिकार्ड के रखरखाव का स्वरूप आरबीआई और सेबी द्वारा निर्धारित किया जाता है। (सही/गलत)

6. सत्यापित किये जानेवाले दस्तावेज ग्राहक के प्रकार पर निर्भर करते हैं। (सही/गलत)

7. ग्राहक के वित्तीय हैसियत की पूछताछ करना बैंक के लिये आवश्यक नहीं है। (सही/गलत)

8. दस लाख रुपये से अधिक मूल्य के सभी नकदी संव्यवहार या विदेशी मुद्रा में उसका समतुल्य, अधिनियम में शामिल किये गये हैं। (सही/गलत)

अपनी प्रगति जांचिये - उत्तर

1. गलत **2.** गलत **3.** गलत **4.** सही
5. सही **6.** सही **7.** गलत **8.** सही

संदर्भ :

धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 Bare Act.
अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम

यूनिट 68 : सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000

संरचना/रूपरेखा :

68.1 प्रस्तावना

68.2 परिभाषाएं

68.3 इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेन्स

68.4 प्रमाणितता प्राधिकारी

68.5 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र

68.6 दंड

68.7 अपील

68.8 जांच

- सारांश
- प्रमुख शब्द

- अपनी प्रगति जांचिये

- अपनी प्रगति जांचिये - उत्तर

- संदर्भ

68.1 प्रस्तावना :

यूनायटेड नेशन्स की जनरल एसेंब्ली ने संकल्प A/RES/51/162 दिनांक 30.01.1997 के, इंटरनैशनल ट्रेड लॉ के यूनायटेड नेशन्स कमिशन द्वारा पास किये गये, मॉडेल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक को पारित कर दिया। उक्त संकल्प अन्य बातों के साथ-साथ अनुशंसा करता है कि सभी राज्य उक्त मॉडल लॉ को अनुकुल विचार प्रदान करें और जब वे अपने कानूनों को परिशोधित या अधिनियमित करेंगे, तब संप्रेषण तथा सूचना संग्रहण की पेपर केस इ. पद्धतियों के लिये वैकल्पिक कानून के रूप में, कानून की एकरुपता को ध्यान में रखकर उसे अमल में लाएं। उस संकल्प को लागू करने के लिये महत्व दिया जायें और रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड के जरिये कारगर सरकारी सेवा डिलीवरी का संवर्धन किया जाये।

अतः मई 2000 में भारतीय संसद के दोनों सदनों ने सूचना प्रौद्योगिकी बिल/विधेयक पारित कर दिया। बिल को राष्ट्रपति की संमत्ति/अनुमति अगस्त 2000 में मिली और उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के नाम से जाना जाने लगा। सायबर लॉज/कानून आयटी अधिनियम 2000 में समाविष्ट है।

भारत में ई कॉमर्स हेतु कानूनी ढांचा प्रदान करने का इस अधिनियम का उद्देश्य है, जिसमें, संप्रेषण की कागज पर आधारित पद्धतियों को विकल्प के रूप में उपयोग के लिये, तथा सूचना का संग्रहण और सरकारी एजेंसियों के दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को उपलब्ध कराने हेतु भी, समाविष्ट किया गया है इसलिये, इस अधिनियम ने, इंडियन पिनल

कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 और भारतीय रिज़र्व बैंक एक्ट 1934 में तथा उससे संबंधित मसलें या प्रासंगिक विषयों में संशोधन उपलब्ध कराएं, भारत में नयी अर्थव्यवस्था और ई बिझिनेस पर सायबर लॉज का महत्वपूर्ण प्रभाव है। अतः यह समझना आवश्यक है कि आयटी एक्ट 2000 के विभिन्न परिप्रेक्ष्य क्या है और वह क्या प्रस्तावित करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, का उद्देश्य कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करना है ताकि सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड, और इलेक्ट्रॉनिक के जरिये की गई अन्य गतिविधियों को कानूनी जामा/स्वरूप पहनाया जाये/दिया जाये। अधिनियम बताता है कि जब तक अन्यथा सहमति न हो, संविदा का स्वीकार इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण के जरिये दिया जाये, और उसकी कानूनी वैधता और प्रवर्तितता भी होगी। इस अधिनियम की प्रमुख बातें नीचे सूचीबद्ध की गई हैं।

68.2 परिभाषाएं :

इस अधिनियम में जब तक अन्यथा संदर्भ की आवश्यकता न हो :

(क) '**एक्सेस**' उसके ग्रॅमॅटिकल वेरिएशन और कागनेट एक्सप्रेशन का अर्थ है, प्रवेश पाना, अनुदेश अथवा तर्किक, अंकगणितीय, कम्प्यूटर के मेमोरी फंक्शन रिसोर्सिकी, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क के साथ संप्रेषण करना।

(ख) '**एड्रेसी**' **का अर्थ है**, ऐसा व्यक्ति जिसे ओरिजिनेटर चाहता है कि वह इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड प्राप्त करें लेकिन उसमें कोई मध्यस्थ शामिल न हो।

(ग) '**न्याय निर्णयन अधिकारी**' **का अर्थ है**, धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णयन (ॲडज्युिकेटिंग) अधिकारी

(घ) '**डिजिटल हस्ताक्षर लगाना**' व्याकरणिक बदलाव और सजातीय (कॉगनेट) विवेचनों सहित, का अर्थ है कि किसी भी प्रकार की पद्धति या प्रक्रिया का, किसी व्यक्ति द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के जरिये, इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड के अधिप्रमाणन के उद्देश्य के लिये अंगीकरण किया जाना है।

(च) '**उचित सरकार**' **का अर्थ** किसी मामले के विषय में।

(1) संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची II में वर्णित।

(2) संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची III के अधीन अधिनियमित किसी भी राज्य कानून के संबंध में।

राज्य सरकार और किसी अन्य मामले में केंद्रीय सरकार

(छ) '**असिमेट्रिक क्रिप्टो प्रणाली**' **का अर्थ है**, सिक्योर 'की' पेअर प्रणाली जो प्राइवेट 'की' से रचित डिजिटल हस्ताक्षर का सृजन करने हेतु और पब्लिक 'की', डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन हेतु।

(ज) '**प्रमाणन प्राधिकारी**' **का अर्थ है**, ऐसा व्यक्ति जिसे धारा 24 के अधीन डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करने हेतु लायसंस प्रदान किया हो।

(झ) '**प्रमाणन प्रॅक्टिस विवरण**' **का अर्थ है**, प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया विवरण प्रॅक्टिसिस विनिर्दिष्ट करते हुए कि प्रमाणन अधिकारी इसका उपयोग डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करने हेतु करता है।

(ट) **कम्प्यूटर का अर्थ है**, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, मॅगनेटिक, ऑप्टिकल, या अन्य हायस्पीड डाटा प्रोसेसिंग इकाई, या प्रणाली जो इलेक्ट्रॉनिक

मॅन्युप्युलेशन, मॅगनेटिक या ऑप्टिकल इंपलसेस के जरिये, जिसमें सभी निविष्टियां उत्पादन, प्रोसेसिंग स्टोरेज, कम्प्यूटर सॉफ्टवेटर, या संप्रेषण सुविधाएं शामिल हों, जो कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क से संबंधित या जोड़ा गया हो।

(ठ) 'कम्प्यूटर नेटवर्क' का अर्थ है, एक या अधिक कम्प्यूटर का निम्नांकित के जरिये जोड़ा जाना :

(1) सॅटॅलाइट के उपयोग, माइक्रोवेव, टेरेस्ट्रियल लाइन, या अन्य संप्रेषण माध्यम

(2) टर्मिनलस् अथवा दो या उससे अधिक, आंतरिक रूप से जोड़े गये कम्प्यूटर्स, चाहे उनका आंतरिक जोड़ा जाना लगातार रखा गया हो या न हो।

(ड) 'कम्प्यूटर संसाधन' का अर्थ है, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली, कम्प्यूटर नेटवर्क, डाटा कम्प्यूटर, डाटा बेस, या सॉफ्टवेटर।

(ढ) 'कम्प्यूटर प्रणाली' का अर्थ है, इनपुट और आउटपुट सपोर्ट साधनों सहित डिवाइज़ अथवा डिवाइजों का संग्रह, तथापि कैलक्यूलेटर्स को छोड़कर, जो प्रोग्रामेबल तथा एक्सटर्नल फाइलों के साथ जोड़कर उपयोग में लाये जाने की क्षमता रखते हों, जिसमें कम्प्यूटर प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक अनुदेश, इनपुट डाटा, आउटपुट डाटा, शामिल हो, जो तर्कशक्ति, अंकगणित, डाटास्टोरेज, और रिट्रीवल, संप्रेषण नियंत्रण और अन्य कार्य करते हों।

(ण) 'कंट्रोलर' का अर्थ है, धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रमाणन प्राधिकारियों का नियंत्रक।

(त) 'सायबर अपेलेन्ट ट्रायब्यूनल' का अर्थ है, सायबर अपेलेट ट्रायब्यूनल जिसका गठन धारा 48 की उपधारा 1 के अधीन किया गया हो।

(थ) 'डाटा' का अर्थ है, सूचना, ज्ञान, सत्यता, संकल्पना या अनुदेशों का प्रतिनिधित्व, जिन्हें बनाया जाता हो, या औपचारिक रूप से बनाया गया हो, और जिन का प्रोसेसिंग किया जाना हो या किया गया हो, अथवा जिनका प्रोसेसिंग कम्प्यूटर प्रणाली, या कम्प्यूटर नेटवर्क में किया जाना हो या, किया गया हो, या किसी भी फार्म में हो (कम्प्यूटर प्रिंटआउट, मॅगनेटिक या ऑप्टिकल स्टोरेज़ मिडिया, पंच कार्डस् पंच टेप्स सहित) अथवा कम्प्यूटर की मेमोरी में आंतरिक रूप से स्टोर की गई हो।

(द) 'डिजिटल हस्ताक्षर' का अर्थ है, सबस्क्राइबर द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड का इलेक्ट्रॉनिक पद्धति या प्रणाली के जरिये अधिप्रमाणन जो धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार हों।

(ध) 'डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र' का अर्थ है, धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन जारी किया गया डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र

(न) 'इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म' सूचना के संदर्भ में इसका अर्थ है, कोई भी सूचना जो निर्मित, भेजी गई, प्राप्त या मिडीया मॅगनेटिक, ऑप्टिकल, कम्प्यूटर, मेमोरी, माइक्रोफिल्म, कम्प्यूटर निर्मित माइक्रो फिच या तत्सम डिवाइज़ में संग्रहित हो।

(प) 'इलेक्ट्रॉनिक गजट' का अर्थ है, इलेक्ट्रॉनिक फार्म में प्रकाशित अधिकारिक गजट।

(फ) '**इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड**' **का अर्थ है**, डाटा, रिकार्ड या डाटा निर्मिती, इमेज या संग्रहित आवाज, इलेक्ट्रॉनिक फार्म में प्राप्त, या प्रेषित अथवा कम्प्यूटर निर्मित माइक्रोफिच।

(ब) '**फंक्शन**' कम्प्यूटर के संबंध में, लॉजिक, नियंत्रित अंकगणितीय पद्धति, डिलिशन, स्टोरेज और रिट्रीवल और संप्रेषण या टेली संप्रेषण, कम्प्यूटर से या कम्प्यूटर के भीतर।

(भ) '**सूचना**' में डाटा, टेक्सट इमेजिस, साऊंड, वॉइस, कोडस् कम्प्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेअर, और डाटा बेस या माइक्रोफिल्म या कम्प्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिल्म शामिल हैं।

(म) '**मध्यस्थ**' किसी विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति की ओर से, प्राप्त करता है, स्टोर्स, ट्रान्समिट, उस संदेश को करता है या उस संदेश विषयक कोई सेवा उपलब्ध कराता है।

(य) '**की पेअर**' असिमेट्रीक साइप्रो प्रणाली में, उसका अर्थ है प्राइवेट 'की' और मॅथेमॅटिकली रिलेटेड पब्लिक 'की', जो इस तरह संबद्ध हैं, कि प्राइवेट 'की' द्वारा सृजित डिजिटल हस्ताक्षर का सत्यापन पब्लिक 'की' द्वारा किया जा सकता हो।

(र) '**लॉ**' में संसद या राज्य विधाई का अधिनियम, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, जो भी स्थिति हो। अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये विनियमन संविधान के अनुच्छेद 357 का खंड 1 उपखंड (ए) के अधीन अधिनियमित विधेयक बिल, जिस राष्ट्रपति का अधिनियम, और इस में, नियम, विनियमन, बाइलॉज/उपबंध और उसके अधीन बनाये या जारी किये गये आदेश।

(ल) '**लाइसेंस**' **का अर्थ है**, धारा 24 के अधीन, प्रमाणन प्राधिकारी को प्रदान किया गया लाईसेंस।

(व) '**ओरिजिनेटर**' **का अर्थ है**, ऐसा व्यक्ति, जो कोई इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजता है, स्टोर करता है या प्रेषित करता है या इलेक्ट्रॉनिक संदेश जो किसी अन्य व्यक्ति को भेजा जानेवाला, जनरेटेड, संग्रहित या संप्रेषित हो लेकिन, उसमें मध्यस्थ शामिल नहीं हो।

(श) '**निर्धारित**' **का अर्थ है**, इस अधिनियम के अधीन निर्धारित नियमों द्वारा

(स) '**प्राइवेट की**' **का अर्थ है**, डिजिटल हस्ताक्षर के सृजन के लिये 'की' जोडे पेअर की 'की'

(ह) '**पब्लिक की**' **का अर्थ है**, डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापनार्थ उपयोगित 'की जोडे' की 'की' जिसे डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध किया गया हो।

(ळ) '**सिक्योर सिस्टम**' **का अर्थ है**, कम्प्यूटर हार्डवेटर, सॉफ्टवेअर, और ऐसी पद्धति :

(अ) अनऑथोराजिइस एक्सेस, या दुरुपयोग से समुचित रूप से सुरक्षित हो।

(आ) समुचित मात्रा में भरोसा और सही परिचालनों का विश्वास दिलाती हों।

(इ) परफॉर्मिंग और इंटेंडेट कार्य के लिये समुचित योग्य हों।

(ई) सामान्य रूप से स्वीकृत सुरक्षा पद्धतियों का अवलंबन करनेवाली हो।

(ज्ञ) '**सुरक्षा पद्धति**' **का अर्थ है**, केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 16 के अधीन निर्धारित सुरक्षा पद्धति।

(श्र) '**सबस्क्राइबर**' **का अर्थ है**, ऐसा व्यक्ति जिसके नाम से डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी किया जाता हो।

(ष) '**सत्यापन**' डिजिटल हस्ताक्षर के संदर्भ में, इलेक्ट्रानिक रिकार्ड या पब्लिक 'की' उसके व्याकरणीय चलन (वेरीएशन) और कॉगनेट एक्सप्रेशन सजातीय विवेचन का अर्थ है, यह निर्धारित करें कि :

(अ) सबस्क्राइबर की पब्लिक'की' से संबद्ध प्राइवेट 'की' के उपयोग से लगाया गया डिजिटल हस्ताक्षर, का आरंभिक इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड।

(आ) आरंभिक इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड ज्यों-ही-त्यों रखा गया हो अथवा उसे बदला गया हो क्योंकि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड डिजिटल हस्ताक्षर से साथ चिपकाया गया था।

68.3 इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस :

अधिनियम का अध्याय III इलेक्ट्रॉनिक गवरनेंस से संबद्ध है, और प्रावधान रखता है कि सूचना या कोई अन्य विषय लिखित रूप में होगा या टाइप-रिटन, या प्रिंटेड फार्म में होगा, तभी, ऐसे कानून में कुछ भी समाविष्ट होने के बावजूद भी, ऐसी आवश्यकता की पूर्तता की गई है, ऐसा तभी माना जायेगा यदि ऐसी जानकारी या विषय :-

(क) इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया गया हो या उपलब्ध कराया गया हो और

(ख) पहुंच योग्य हो, ताकि उसके बाद के संदर्भ हेतु, इस्तेमाल किया जा सके। यह अध्याय डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता देने का विवरण भी देता है।

68.4 प्रमाणितकर्ता प्राधिकारी :

उक्त अधिनियम का अध्याय IV प्रमाणितकर्ता प्राधिकारी के विनियमन की योजना देता है। अधिनियम में प्रमाणन प्राधिकारी के नियंत्रक का प्रावधान है, जो प्रमाणन प्राधिकारी की गतिविधियों पर निगरानी रखने का कार्य करेगा। इसके अलावा प्रमाणन प्राधिकारी का स्तर और शर्तों से उस पर नियंत्रण करना, और साथ-साथ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों के विभिन्न फार्मों और विषय वस्तुओं का विनिर्धारण किया गया हो। विदेशी प्रमाणन प्राधिकारों की आवश्यकता को अधिनियम मान्य करना है, और वह डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करने हेतु, जारी किये जानेवाले लायसंस, के विभिन्न प्रावधानों के विवरण भी देता है।

68.5 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र :

अधिनियम का अध्याय VII डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों से संबद्ध विषयों से संबंधित है। सबस्क्राइबर के कार्यों का जिक्र उक्त अधिनियम में किया गया है।

68.6 दंड/शास्ति :

उक्त अधिनियम का अध्याय IX विभिन्न अपराधों के लिये दंड और न्यायनिर्णय इत्यादि ॲडज्युडिकेशन की चर्चा करता है। कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली इत्यादि की खराबी के लिये क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को रु. 1 करोड़ तक मुआवज़ा/क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है। अधिनियम में भारत सरकार के निर्देशक के हौधे से कम क्रमांक का न होनेवाले अधिकारी की नियुक्ति या ऐसे समतुल्य अधिकारी, जो, न्यायनिर्णय करें कि क्या किसी व्यक्ति ने अधिनियम के किसी प्रावधान का, या उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों का उल्लंघन किया है, उसकी चर्चा भी की है। उक्त न्याय निर्णय करनेवाले अधिकारी को दिवाणी (सिविल) न्यायालय के अधिकार प्रदान किये गये हैं।

68.7 अपील :

अधिनियम का अध्याय X सायबर रेग्यूलेशन अपेलेट ट्रायब्यूनल के गठन की चर्चा करता है, जो एक अपीलीय निकाय हो, जहां अधिनिर्णयन अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील किया जा सकता हो।

68.8 जांच :

अधिनियम का अध्याय XI विभिन्न अपराधों की चर्चा करता है और ऐसे अपराधों की जांच उप सुपरिटेंडेट ऑफ पुलिस से निम्न पदाधीकारी नहीं कर सकता है। इन अपराधों में कम्प्यूटर स्रोत दस्तावेजों, सूचना का प्रकाशन, जो इलेक्ट्रॉनिक फार्म में अश्लिलता से युक्त हो, और हैकिंग।

अधिनियम में सायबर रेग्यूलेशन एडवायजरी कमिटी के गठन का प्रावधान है। जो उक्त अधिनियम से संबद्ध अन्य वजह या नियमों के विषय में सरकार को सलाह देगी। उक्त अधिनियम इंडियन पिनल कोड 1860, इंडियन एविडंस अधिनियम 1872, बैंकर्स बुक एविडंस अधिनियम 1891, रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 में, आयटी अधिनियम के अनुरूप बनाने हेतु, संशोधन करने का प्रावधान भी रखता हैः

सारांश :

इलेक्ट्रॉनिक युग/एज में यह अधिनियम महत्वपूर्ण है, जहां दस्तावेजों का संवहन/ट्रॅन्समिशिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से होता है। जब ई-कॉमर्स और ई-टँनझॅक्शन/संव्यवहारों का प्रसार बढ़ रहा है, तब विद्यार्थियों को उसके प्रावधानों और आशय से (सजग) रहना चाहिये।

प्रमुख शब्द :

डिजिटल हस्ताक्षर, असिमेट्रीक क्रिप्टोसिस्टम, कम्प्यूटर डाटा, डिजिटल हस्ताक्षर, सूचना ओरिजिनेटर, सेक्यूटर प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स

अपनी प्रगति जांचिये :

1. आयटी अधिनियम निम्नांकित द्वारा प्रवर्तित किये जाने पर प्रारंभ किया गया:

(क) भारतीय आयटी उद्योग

(ख) भारतीय संसद

(ग) भरतीय रिज़र्व बैंक

(घ) इन में से कोई भी नहीं

अपनी प्रगति जांचिये - उत्तर

1. **(घ)** इन में से कोई भी नहीं - यूनायटेड नेशन्स कमिशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ

संदर्भ :

1. आयटी अधिनियम 2000